वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस)

(एक स्वायत्त निकाय)

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(भारत सरकार)

वार्षिक रिपोर्ट

2020—21

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति
जीवन तारा बिल्ड़िग, नई दिल्ली

विषय–सूची

अध्याय	अध्याय का नाम	पृष्ठ सं.
अध्याय 1	प्रस्तावना	5
अध्याय 2	शैक्षणिक परिदृश्य	14
अध्याय 3	ईएमआरएस–प्रबंधन सूचना प्रणाली	29
अध्याय 4	ईएमआरएस–भवन निर्माण	31
अध्याय 5	प्रशासन और मानव संसाधन	36
अध्याय 6	वित्त	42
	अनुलग्नक	43
	शब्द–कोष	60

अध्याय 1
प्रस्तावना

सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्त समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना संविधान में प्रतिष्ठापित एक पोषित लक्ष्य रहा है। इसलिए समाज के वंचित वर्गों, विशेष रूप से सरल जनजातीय लोगों को समाज के शेष वर्गों के समकक्ष लाने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु विशेष व्यवस्था प्रदान की गई है। तदनुसार, संविधान ने जनजातीय लोगों की सुरक्षा और उन्नति के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान किया है। सामान्य तौर पर समाज के वंचित वर्गों के लिए भारत के संविधान में लागू सुरक्षात्मक व्यवस्था के अलावा आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए विशेष रूप से सरकारी योजनाओं के माध्यम से कई प्रावधान किए गए हैं। समन्वित और योजनाबद्ध तरीके से उनके एकीकृत सामाजिक–आर्थिक विकास पर अधिक केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करने हेतु वर्ष 1999 में जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) की स्थापना की गई।

"अपने वास्तविक अर्थों में शिक्षा सत्य की खोज है। यह ज्ञान और आत्मज्ञान के माध्यम से एक अंतहीन यात्रा है। इस तरह की यात्रा मानवतावाद के विकास के नए रास्ते खोलती है जहां न तो संकीर्णता, वैमनस्य, ईष्या, घृणा अथवा दुश्मनी के लिए जगह है और न ही इसकी कोई गुंजाइश है। यह एक इंसान को संपूर्ण रूप से हितकारी, एक महान आत्मा और ब्रह्मांड के लिए एक परिसंपत्ति में बदल देता है। वास्तविक शिक्षा मनुष्य की गरिमा और उनके आत्म–सम्मान को बढ़ाती है। अगर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा शिक्षा की वास्तविक भावना को महसूस किया जाएं, और मानव गतिविधि के हर क्षेत्र में इसे आगे बढ़ाएं, तो दुनिया रहने के लिए एक बेहतर जगह होगी।"

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
(भारत के पूर्व राष्ट्रपति)

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपनी स्थापना के बाद से देश भर में अनुसूचित जनजातियों के समग्र उत्थान के लिए विभिन्न पहल किए हैं। इनमें से अनुसूचित जनजाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य रहा है, क्योंकि शैक्षिक विकास आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक प्रारंभिक प्रयास है और समग्र सशक्तिकरण के लिए यह सबसे प्रभावी साधन भी है।

(क) एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के बारे में।

देश के सभी क्षेत्रों और बसाहटों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण आवासीय विद्यालय स्थापित करने के संदर्भ में सुदूर क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 1997–98 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की शुरुआत की गई, ताकि वे उच्च एवं व्यावसायिक शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में अवसरों का लाभ उठाने और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। स्कूल केवल शैक्षणिक शिक्षा पर ही नहीं बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान

देते हैं। प्रत्येक स्कूल में 480 छात्रों की क्षमता है, जो कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं। अब तक संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत राज्य सरकारों को स्कूलों के निर्माण और आवर्ती व्यय के लिए अनुदान दिये गये थे।

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान ईएमआरएस को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए अलग से केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया था। यह निर्णय लिया गया था कि वर्ष 2022 तक 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय आबादी (जनगणना 2011) वाले प्रत्येक ब्लॉक में ईएमआरएस होगा। एकलव्य स्कूल नवोदय विद्यालय के समकक्ष होंगे और इसमें खेल कूद और कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाएं होंगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि चिन्हित उप–जिलों/ब्लॉकों में जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी का घनत्व (90 प्रतिशत या अधिक) अधिक है, वहां आवासीय सुविधा के बिना स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के लिए प्रायोगिक आधार पर एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल (ईएमडीबीएस) स्थापित करना प्रस्तावित है।

प्रत्येक राज्य में एक व्यक्तिगत खेल और एक सामूहिक खेल के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना की जाएगी। खेलों के लिए ये उत्कृष्टता केंद्र भारतीय खेल प्राधिकरण के मानदंडों के अनुसार विशेष प्रशिक्षण, भोजन और आवास सुविधाओं, खेल किट, खेल उपकरण, प्रतिस्पर्धा अवसर, बीमा, चिकित्सा व्यय आदि के साथ अत्याधुनिक सुविधाएं, उपकरण और वैज्ञानिक बैक–अप से युक्त होंगे।

ख. स्कूलों में सुविधाएं

स्कूलों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुरूप किया जाएगा। हालांकि, सुविधाएं सीमित नहीं हैं लेकिन निम्नलिखित के लिए सुनिश्चित की जाएंगी:

1. अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचा (स्कूल, प्रयोगशाला, छात्रावास, खेल सुविधा, कर्मचारी आवास आदि)
2. अध्ययन सामग्री, वर्दी (पहाड़ी क्षेत्रों की जलवायु के लिए अनुकूल कपड़े सहित)
3. प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं के लिए प्रारंभिक कक्षाओं की सुविधा।
4. कमजोर छात्रों के लिए उपचारात्मक कक्षाएं।
5. कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के सहयोग से उपयुक्त कौशल प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम का डिजाइन।
6. टेलीमेडिसिन सहित चिकित्सा सुविधाएं और आसपास के प्रमुख अस्पतालों के साथ टाई–अप करना।
7. जनजातीय बच्चों की नैदानिक और उपचारात्मक चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए सुविधाएं (जैसे सिकल सेल एनीमिया, तपेदिक, मलेरिया आदि।) जहां भी संभव हो।
8. छात्राओं की विशेष पोषण की आवश्यकता और मासिक धर्म स्वच्छता के लिए प्रावधान (सैनिटरी पैड, कचरा भट्टी, आदि।)

9. शुद्ध पेयजल और स्वच्छता का प्रावधान।
10. स्काउट, गाइड, एनसीसी, स्कूल बैंड और अन्य संबंधित गतिविधियां।
11. नृत्य, संगीत, चित्रकला, ट्रेकिंग, भ्रमण/प्रदर्शन दौरा, अध्ययन यात्राएं जैसी अन्य पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियां पाठ्यक्रम का हिस्सा होगी।
12. शैक्षणिक, खेल और सह–पाठयक्रम सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल स्तर की प्रतियोगिताओं में भागीदारी।
13. रिपोर्टिंग/निगरानी के लिए मोबाइल ऐप और सुदृढ़ एमआईएस।
14. विनिमय कार्यक्रमों (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय) में भागीदारी।
15. प्रौद्योगिकी सक्षम शिक्षण उपकरणों का उपयोग।

जहां तक संभव हो विद्यालयों में सुविधाएं जवाहर नवोदय विद्यालयों के समान होंगी।

ग. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) में प्रवेश नीति

क. इन स्कूलों में प्रवेश उचित पारदर्शी वस्तुनिष्ठ मानदंड के माध्यम से होगा।

ख. लड़कों और लड़कियों के लिए सीटों की संख्या समान होगी।

ग. एक स्कूल में अधिकतम छात्रों की स्वीकृत संख्या 480 होगी।

घ. उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर कक्षा छठी से दसवीं तक प्रत्येक कक्षा 2 वर्गों में प्रत्येक में 30 विद्यार्थी के साथ अधिकतम 60 विद्यार्थी होंगे ।

ड. उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11वीं और 12वीं) में, जहां तक संभव हो, विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी तीनों स्ट्रीम के लिए प्रत्येक कक्षा में तीन वर्ग होंगे। प्रत्येक अनुभाग की अधिकतम स्वीकृत संख्या 30 छात्रों की होनी चाहिए।

च. ईएमआरएस/ईएमडीबीएस की 10 प्रतिशत सीटें गैर–अनुसूचित जनजाति के बच्चों द्वारा भरी जा सकती हैं (जिसकी कुल संख्या 480 से अधिक नहीं होनी चाहिए)। ईएमआरएसएस/ईएमडीबीएस स्टाफ के बच्चों, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) और विप्लव के कारण अपने माता–पिता को खोने वाले बच्चों, विधवाओं के बच्चों, दिव्यांग माता–पिता के बच्चों आदि को प्राथमिकता दी जाएगी।

छ. खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले योग्य अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए खेल कोटे के तहत 20 प्रतिशत सीटों का आरक्षण।

घ. ईएमआरएस की निगरानी के लिए हितधारक

- **केंद्र स्तरीय – राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस)**

  जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्कूलों की स्थापना, बंदोबस्त, रखरखाव, नियंत्रण और प्रबंधन करने और आवश्यकता पड़ने पर, राज्य के आरक्षण रोस्टर को विधिवत सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से राज्य के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए एनईएसटीएस की स्थापना की गई है।

- **राज्य स्तरीय–राज्य सरकार**

  राज्य सरकारें खेल और संबंधित अवसंरचना के लिए ईएमआरएस/ईएमडीबीएस/उत्कृष्टता केंद्रों के विकास और विस्तार के लिए क्लियर भूमि के उपयोग के साथ सभी ऋणभार से मुक्त और निशुल्क भूमि प्रदान करती है। राज्य सरकारों को आवश्यक एहतियाती उपाय करके और किसी भी कानून और व्यवस्था की स्थिति का समाधान करके स्कूलों, बच्चों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

- **राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश स्तर – राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ईएमआरएस संस्था**

  ईएमआरएस संस्थाओं की स्थापना विशेष रूप से राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा निर्धारित मानदंडों और दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य में स्वीकृत/स्थापित स्कूलों के प्रबंधन के लिए की जाएगी। राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश समितियां ईएमआरएस के प्रशासन और इसके कर्मचारियों और उन्हें सौंपे गए अन्य उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए जिम्मेदार है।

- **जिला स्तरीय – जिला स्तरीय समिति**

  स्कूलों के कामकाज की निगरानी के लिए जिला स्तर पर जिला स्तरीय कमेटी (डीएलसी) का गठन किया जाना है। डीएलसी के अध्यक्ष जिला कलेक्टर होंगे, जिसमें स्थानीय शिक्षाविद, आदिवासी प्रतिनिधि और जिले के अधिकारी सदस्य के रूप में स्कूलों के प्रभावी संचालन में पर्यवेक्षण और आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

ङ. राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति के बारे में (एनईएसटीएस)

जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन के रूप में आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) की स्थापना की गई है जो स्कूलों की स्थापना, बंदोबस्त, रखरखाव, नियंत्रण और प्रबंधन करती है।

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) के लक्ष्य और उद्देश्यः

1. स्कूलों (एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस), एकलव्य मॉडल डे–बोर्डिंग स्कूल (ईएमडीबीएस) और खेल के लिए उत्कृष्टता केंद्र) की स्थापना, बन्दोबस्त, रखरखाव, नियंत्रण और प्रबंधन करना और निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ स्कूलों के प्रचार के लिए आवश्यक सभी कार्य और चीजें करनाः

   i. ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान आदिवासी बच्चों जो अपने परिवार की सामाजिक – आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना मूल्यों की शिक्षा, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, साहसिक गतिविधियों और शारीरिक शिक्षा के एक मजबूत घटक सहित उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा प्रदान करना।

   ii. पूरे देश में एक सामान्य माध्यम से निर्देश के लिए उपयुक्त स्तर पर सुविधाएं प्रदान करना।

   iii. आदिवासी लोगों की सामान्य और समग्र विरासत को सुविधाजनक समझने और मानकों में तुलनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक सरल पाठ्यक्रम प्रदान करना।

iv. राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और सामाजिक तत्व को समृद्ध करने के लिए प्रत्येक स्कूल में देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में छात्रों को उत्तरोत्तर लाना।

v. जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में शिक्षकों के प्रशिक्षण और अनुभव और सुविधाओं का आदान–प्रदान करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करना।

vi. पाठ्येतर गतिविधियों के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना।

vii. छात्रों को राष्ट्रीय संस्कृति में गौरव विकसित करने, आदिवासी विरासत, आदिवासी संस्कृति, संगीत, नृत्य और अन्य कलाओं को संरक्षित और पोषित करने की सुविधा प्रदान करना।

viii. छात्रों को विशेष रूप से स्वरोजगार सहित रोजगार के लिए उन्मुख कौशल हासिल करने में मदद करना।

ix. सर्वोत्तम अकादमिक मानकों, खेल में उत्कृष्टता और पाठ्येतर गतिविधियों को प्राप्त करने का प्रयास करना।

च. एनईएसटीएस की शासी निकाय संरचना

शासी निकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगेः

पदेन सदस्य

1. सचिव जनजातीय कार्य मंत्रालय–अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (ईएमआरएस) जनजातीय कार्य मंत्रालय–उपाध्यक्ष।
3. आयुक्त, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति – समिति के सचिव।
4. वित्तीय सलाहकार जनजातीय कार्य मंत्रालय –वित्तीय सदस्य।
5. महाप्रबंधक (वित्त) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति – वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)।
6. उप महानिदेशक जनजातीय कार्य मंत्रालय
7. निदेशक (सामान्य प्रशासन) जनजातीय कार्य मंत्रालय – कोषाध्यक्ष।
8. निदेशक (ईएमआरएस) जनजातीय कार्य मंत्रालय।
9. रोटेशन के आधार पर अनुसूची–V राज्यों से 3 प्रमुख सचिव/सचिव (आदिवासी विकास/कल्याण)।
10. रोटेशन के आधार पर अनुसूची–VI राज्यों से और स्कूल खोलने के लिए योग्यता प्राप्त राज्यों से 2 प्रधान सचिव/सचिव (आदिवासी विकास/कल्याण)।
11. केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति और सैनिक स्कूल संस्था की कार्यकारी समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 सदस्य।
12. भारतीय खेल प्राधिकरण, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (शिक्षा मंत्रालय) का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 सदस्य।

मनोनीत सदस्य

1. जनजातीय क्षेत्रों में काम करने वाले परोपकारी संगठनों के 3 प्रख्यात शिक्षाविद प्रतिनिधि।
2. आदिवासी संस्कृति, भाषा और कला के क्षेत्र से 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति।

एनईएसटीएस सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति के माध्यम से कार्य करेगी। प्रशासनिक संरचना के कार्यकारी प्रमुख अयुक्त (संयुक्त सचिव स्तर) होगा जो कार्यकारी समिति द्वारा तैयार नीतियों को कार्यान्वित करेगा। एनईएसटीएस माननीय जनजातीय कार्य मंत्री के अध्यक्षता वाली स्थायी समिति द्वारा संचालित होगी।

छ. एनईएसटीएस की स्टाफिंग संरचना

एनईएसटीएस के प्रशासनिक कार्यकारी प्रमुख, आयुक्त (संयुक्त सचिव स्तर के) होंगे जो निर्धारित नीतियों को निष्पादित करेंगे।

आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा समिति का संगठनात्मक गठन निम्नानुसार है:

क्र. सं.	पद का नाम	वेतन का स्तर	प्रस्तावित पदों की संख्या	डीओई द्वारा अनुमोदित पदों की संख्या	स्थिति
1.	आयुक्त	एल–14	01	01	सीएमडी एनएसटीएफडीसी को अतिरिक्त प्रभार
2.	अपर आयुक्त (निदेशक स्तर)	एल–13	02	01	प्रतिनियुक्ति पर भरा हुआ
3.	संयुक्त आयुक्त (उप सचिव स्तर)	एल–12	03	02	प्रतिनियुक्ति पर भरा हुआ
4.	उपायुक्त (अवर सचिव स्तर)	एल–11	04	02	प्रतिनियुक्ति पर भरा हुआ
5.	सहायक आयुक्त (अनुभाग अधिकारी स्तर)	एल–8	04	04	01 प्रतिनियुक्ति पर भरा हुआ 03 ईडीसीआईएल के माध्यम से भरे जाएंगे
6.	आयुक्त के निजी सचिव	एल–7	01	01	रिक्त (प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाएंगे)
7.	कार्यालय अधीक्षक (एएसओ स्तर)	एल–7	04	04	02 रिक्त (प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा) 02 ईडीसीआईएल के माध्यम से भरे जाएंगे
8.	अपर आयुक्त के आशुलिपिक ग्रेड –I	एल–6	02	01	ईडीसीआईएल के माध्यम से भरे जाएंगे
9.	आशुलिपिक ग्रेड–II (संयुक्त आयुक्त को)	एल–4	03	02	ईडीसीआईएल के माध्यम से भरे जाएंगे
10.	कार्यालय सहायक (यूडीसी स्तर)	एल–4	08	04	ईडीसीआईएल के माध्यम से भरे जाएंगे
11.	मल्टी–टास्किंग स्टॉफ	एल–1	10	06	ईडीसीआईएल के माध्यम से भरे जाएंगे
	कुल		**42**	**28**	

उपरोक्त स्वीकृत कर्मचारियों के अलावा, एनईएसटीएस ने निम्नलिखित इकाईयां स्थापित की हैं:

- एक परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) जिसमें परामर्शदाता ग्रेड प्रथम और द्वितीय और युवा परामर्शदाता (समेकित वेतन पर) शामिल हैं ।
- एक तकनीकी विंग जिसमें परियोजनाओं के विकास और विभिन्न एजेंसियों को सौंपे गए निर्माण कार्यों की तकनीकी पुनरीक्षण और निगरानी के लिए सेवानिवृत्त अभियंताओं को शामिल किया गया है।

ज. ईएमआरएस की राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश–वार सूची

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	कार्यात्मक	गैर–कार्यात्मक	कुल योग
आंध्र प्रदेश	19	7	26
अरुणाचल प्रदेश	2	8	10
असम	1	9	10
बिहार	–	3	3
छत्तीसगढ़	71	–	71
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1	–	1
गुजरात	34	1	35
हिमाचल प्रदेश	4	–	4
जम्मू और कश्मीर	–	6	6
झारखंड	7	72	79
कर्नाटक	12	–	12
केरल	2	2	4
लद्दाख	–	2	2
मध्य प्रदेश	63	–	63
महाराष्ट्र	25	5	30
मणिपुर	3	12	15
मेघालय	–	15	15
मिजोरम	6	11	17
नागालैंड	3	16	19
ओडिशा	27	43	70
राजस्थान	21	9	30
सिक्किम	4	–	4
तमिलनाडु	8	–	8
तेलंगाना	23	–	23
त्रिपुरा	5	11	16
उत्तर प्रदेश	2	2	4
उत्तराखंड	3	–	3
पश्चिम बंगाल	7	1	8
कुल	**353**	**235**	**588**

झ. स्वीकृत ईएमआरएस विकास की राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1997.98	1998.99	1999.00	2000.01	2001.02	2002.03	2003.04	2005.06	2007.08	2008.09	2010.11	2011.12	2012.13	2013.14	2014.15	2015.16	2016.17	2017.18	2018.19	2019.20	2018–19	2020.21	कुल योग
आंध्र प्रदेश		1					1				2				10				2	3		7	26
अरुणाचल प्रदेश	1								1							2	2	1	1			2	10
असम											1					1	2		1			5	10
बिहार															2							1	3
छत्तीसगढ़								8			3	1	1	3		9			3	14		29	71
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव																						1	1
गुजरात	4				3		1		3		2	8		1		1	1	3	3	4	1		35
हिमाचल प्रदेश	1																		1		2		4
जम्मू और कश्मीर	1						1										1	1			2		6
झारखंड	4										1	2		2	6		4	2	2	21	2	33	79
कर्नाटक	2				1			1			6		1			1							12
केरल	1	1																1			1		4
लद्दाख																	1				1		2
मध्य प्रदेश				8				4	1	2	8				5	4			3	10		18	63
महाराष्ट्र	4													4	3	3	2	2	3	4		5	30
मणिपुर	1			2													2		2	2	1	5	15
मेघालय																	1		11	2	1		15
मिजोरम	1											1			3	1			3	2		6	17
नागालैंड	3															2			6	1		7	19
ओडिशा	4				4	2			1		2	3				6	5		2	28		13	70
राजस्थान	4	1	2						1		6	1		2			1		2	2		8	30
सिक्किम	1							1								1	1						4
तमिलनाडु	1							1									4	1	1				8
तेलंगाना	3	2					1								1	2		2	2	3		7	23
त्रिपुरा	2	1									1						2		2	4	1	3	16
उत्तर प्रदेश	1										2						1						4
उत्तराखंड							1											1			1		3
पश्चिम बंगाल	5							2													1		8
कुल योग	44	6	2	10	8	2	5	17	7	2	34	16	2	12	30	33	30	14	50	100	14	150	588

स्वीकृत ईएमआरएस विकास की राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सूची

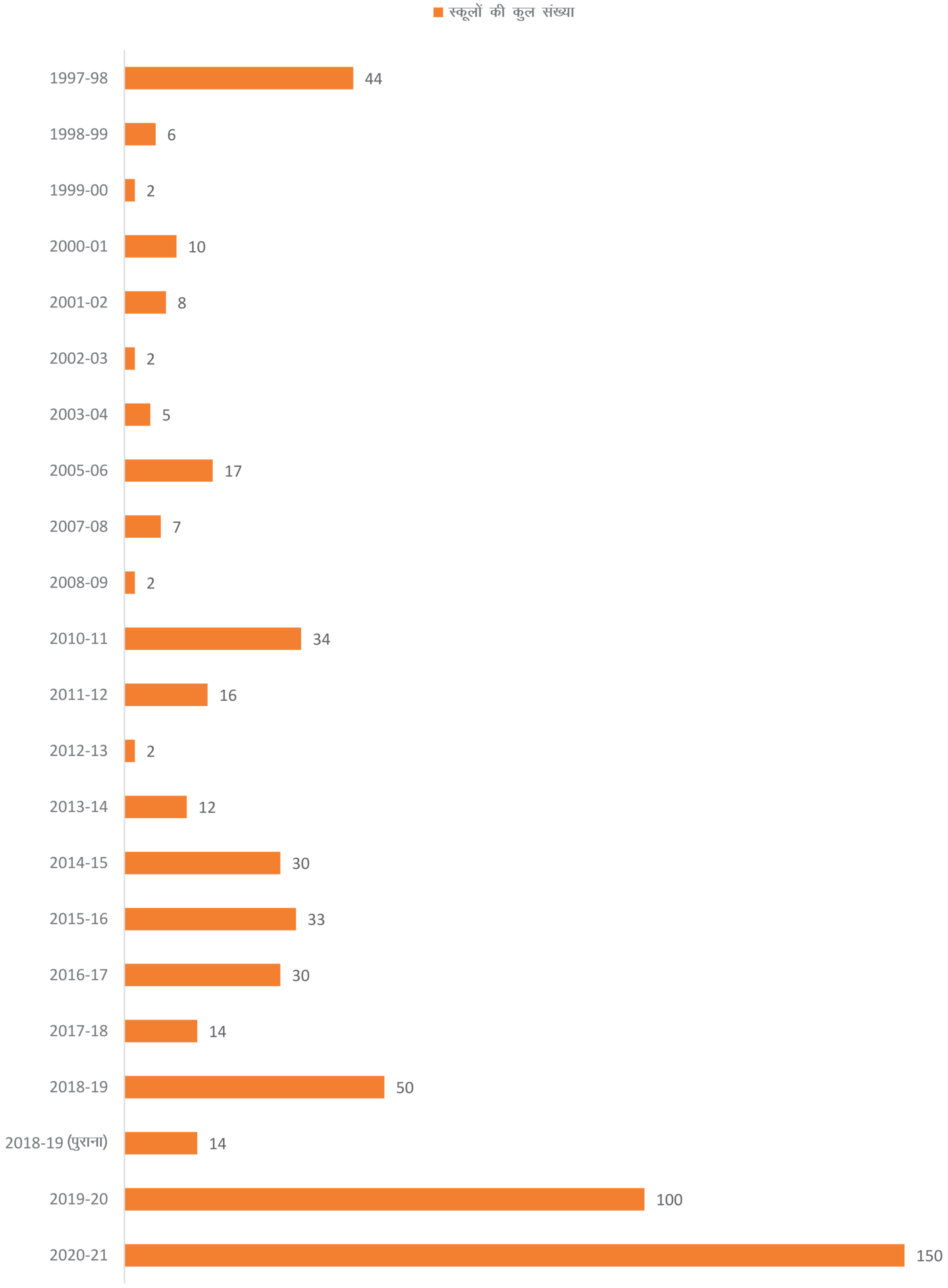

अध्याय 2

शैक्षणिक परिदृश्य

जनजातीय कार्य मंत्रालय, आदिवासी विकास के लिए अनेक अग्रणी योजनाओं में से एक – एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) के माध्यम से वर्ष 1997–98 से कक्षा 6 से 12 तक प्रत्येक स्कूल में 480 छात्रों की क्षमता के साथ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना कर रहा है।

ईएमआरएस का उद्देश्य सुदूर प्रांतों में बसे सबसे अधिक वंचित वर्ग अर्थात अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान कर उच्च और व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में आरक्षण का लाभ उठाने तथा सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में नौकरी प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य आदिवासी छात्रों को शिक्षा के सर्वोत्तम अवसर प्रदान कर सामान्य जनसँख्या के समकक्ष लाना है।

शिक्षित बनो
संगठित रहो
संघर्ष करो

–डॉ. बी आर अम्बेडकर

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन, का ध्येय आदिवासी छात्रों का शैक्षिक विकास करना है। पिछले शैक्षणिक वर्ष से छात्रों और शिक्षकों की अकादमिक, सह–पाठ्यक्रम और समग्र प्रगति के लिए की गई पहल अत्यंत उत्साह और समपर्ण के साथ जारी हैं।

वर्ष 2020–2021 में एनईएसटीएस का केंद्र– बिंदु ईएमआरएस की कार्यात्मक प्रभावशीलता को मजबूत करने वाली अभिनव / नवाचार पद्धतियों का परिचय, सूत्रपात और एकीकरण रहा है। एनईएसटीएस ने सर्वोत्तम शैक्षिक प्रथाओं की शुरुआत कर ईएमआरएस को सफलता के द्वीपों के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की है। शैक्षणिक वर्ष 2020–2021 में, एनईएसटीएस ने राष्ट्रीय शीर्ष/सर्वोच्च निकायों और स्वैच्छिक संगठनों जैसे राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए), नीति आयोग, भारतीय भौतिकी शिक्षक परिषद् (आईएपीटी), और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन (एओएल) आदि प्रमुख संगठनों के सहयोग से प्रभावी अभिनव कार्यक्रमों का नेतृत्व किया है। विविध शैक्षिक क्षेत्रों जैसे अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना, प्राचार्यों और शिक्षकों के लिए क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमों का संचालन, भौतिक विज्ञान और आईटी सॉफ्टवेयर जैसे प्रमुख विषयों में व्यावसायिक क्षमता निर्माण कार्यक्रम इत्यादि के लिए अग्रणी संस्थाओं के साथ सहयोग स्थापित किया गया।

परीक्षण और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई); राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी); रचनात्मक शिक्षा केंद्र (सीसीएल) आईआईटी–गांधीनगर तथा राष्ट्रीय महत्व के ऐसे अन्य निकायों के साथ भी सहयोग की प्रक्रिया को आरम्भ किया गया है।

चित्र 2.1 – राष्ट्रीय शीर्ष निकायों के साथ शैक्षिक पहल के लिए सहयोग और कार्यक्रम (2020–2021)

- अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं के लिए अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग
- स्कूल नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए)
- भौतिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भारतीय भौतिकी शिक्षक परिषद् (आईएपीटी)
- शिक्षकों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण के लिए आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन (एओएल)

देश के शीर्ष शैक्षिक निकायों के साथ सहयोग स्थापित करने का समग्र उद्देश्य सभी क्षेत्रों में ईएमआरएस में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। स्कूलों की वृद्धि और विकास में योगदान करने के लिए एनईएसटीएस अन्य शैक्षिक निकायों के साथ मिलकर काम करना जारी रखे हुए है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के दृष्टिकोण के अनुसार, एनईएसटीएस सम्पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों को उदाहरण और उत्कृष्ट स्कूलों के रूप में उभारने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

(क) अकादमिक उत्कृष्टता के माध्यम से नए क्षितिज का आगाज़

वर्ष 2020 – 2021 में प्राचार्यों, शिक्षकों और छात्रों की समग्र उन्नति के लिए विभिन्न शैक्षिक परियोजनाओं और उपलब्धियों का सिंहावलोकन इस प्रकार हैं:

1. राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए) के सहयोग से ईएमआरएस स्कूल प्रमुखों के लिए स्कूल नेतृत्व कार्यक्रम

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए), शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित भारत ही नहीं दक्षिण एशिया का प्रमुख संगठन है जो शैक्षिक योजना एवं प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता विकास और शोध कार्य में संलग्न है।

वर्ष 2012 में एनआईईपीए में स्थापित नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप (एनसीएसएल) देश में स्कूलों के रूपांतरण के लिए प्रतिबद्ध है। एनसीएसएल–एनआईईपीए स्कूलों के रूपांतरण के मुख्य उद्देश्य के साथ, देश भर के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, 741 जिलों और 6600 ब्लॉकों में सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता और प्रसंगत स्कूली मुद्दों को संबोधित करने की दिशा में काम कर

रहा है। इस केंद्र की सभी गतिविधियां मुख्य रूप से प्रत्येक राज्य के प्रत्येक स्कूल के लिए एक परिवर्तनकारी कार्यावली को आगे बढ़ाने पर केंद्रित होती हैं।

ईएमआरएस प्रधानाध्यापकों को उनके वृत्तिक विकास और उन्नति के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण, जो अंततः स्कूल को विकास के पथ पर अग्रेसित करेगा, से सुसज्जित करने के लिए एनईएसटीएस के द्वारा एनआईईपीए के सहयोग से स्कूल नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ईएमआरएस प्राचार्यों एवं प्रभारी प्राचार्यों के लिए पहला 10 दिवसीय स्कूल नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम ऑनलाइन प्रणाली के द्वारा 21 सितंबर से 1 अक्टूबर, 2020 तक आयोजित किया गया था। महामारी काल में ऑनलाइन कार्यशाला के द्वारा स्कूल के प्रधानाध्यापकों की जरूरतों को तुल्यकालिक प्रणाली के माध्यम से पारस्परिक विचार विमर्श के साथ पूर्ण करने की योजना बनाई गई थी। तकनीकी अनुकूलन के माध्यम से व्यावसायिक पाठ्यक्रम को जारी रखते हुए महामारी के समय का सदुपयोग किया गया। नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम को उत्तरी और उत्तर–पूर्वी क्षेत्र को आच्छादित करने वाले 12 राज्यों के ईएमआरएस प्राचार्यों एवं प्रभारी प्राचार्यों के लिए नियोजित किया गया था।

तालिका 2.1 बैच 1 नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए लक्षित राज्य तथा प्रधानाचार्यों की संख्या

लक्षित राज्य	प्रधानाचार्यों की संख्या
हिमाचल प्रदेश	4
झारखंड	13
मणिपुर	3
मिजोरम	2
नागालैंड	3
असम	1
सिक्किम	2
त्रिपुरा	4
राजस्थान	18
उत्तर प्रदेश	2
उत्तराखंड	1
पश्चिम बंगाल	7

यह कार्यक्रम परिवर्तनकारी कार्यावली "प्रत्येक बच्चा सीखे और प्रत्येक स्कूल उत्कृष्ट" के साथ आया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य न्यायसम्य मुद्दों को संबोधित करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को अग्रणी बनाने में स्कूल नेतृत्व की भूमिका पर केंद्रित था। कार्यशाला का उद्देश्य प्रधानाध्यापकों की परिवर्तनकारी प्रशिक्षक के रूप में नेतृत्व क्षमता को विकसित करना था। इस कार्यशाला के

माध्यम से सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी ईएमआरएस नेतृत्व मॉडल विकसित करने की दिशा में एक कदम उठाया गया है। कार्यशाला तीन चरणों – पूर्व–आकलन, कार्यशाला और पश्य–मूल्याङ्कन में आयोजित की गई थी। पूर्व–आकलन पठन सामग्री प्रतिभागियों के साथ साझा की गई, जिसके अनुरूप प्रतिभागियों को कार्य करने का प्रयास करना था। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को अन्वेषण, संलग्न और नियोजित करने के लिए परस्पर संवादात्मक प्रणाली का प्रयोग किया गया था। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानाध्यापकों के सीखने और भविष्य के लिए तैयार की गई योजनाओं के कार्यान्वयन का पता लगाने के उद्देश्य से, कार्यशाला से अभिगृहित कौशल का स्कूल के रूपांतरण में उपयोग करने की क्षमता के स्तर की समीक्षा करने के लिए दो दिवसीय समीक्षा एवं प्रतिपुष्टि कार्यशाला 5 व 6 अप्रैल, 2021 को आयोजित की जाएगी। एनसीएस, एनआईईपीए के प्रमुख संसाधकों और संकाय के द्वारा आवश्यकतानुसार पर्याप्त सहयोग और व्यक्तिगत सहायता प्रदान की जाएगी। समीक्षा कार्यशाला प्रधानाध्यापकों को नेतृत्व और परिवर्तन के लिए भविष्य की कार्य योजना विकसित करने में सक्षम बनाएगी। कार्यशाला के दौरान सभी प्रतिभागियों ने गहरी रुचि दिखाई और वास्तविक स्कूल के संदर्भ में अपने शिक्षण की प्रयोज्यता का संकेत देने वाली अपनी कार्य योजनाओं को साझा किया।

चित्र 2.2 विद्यालय नेतृत्व कार्यशाला बैच–I का आशुचित्र

नेतृत्व प्रशिक्षण को प्रतिभागियों से उत्साहजनक और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। चूंकि, प्रशिक्षण

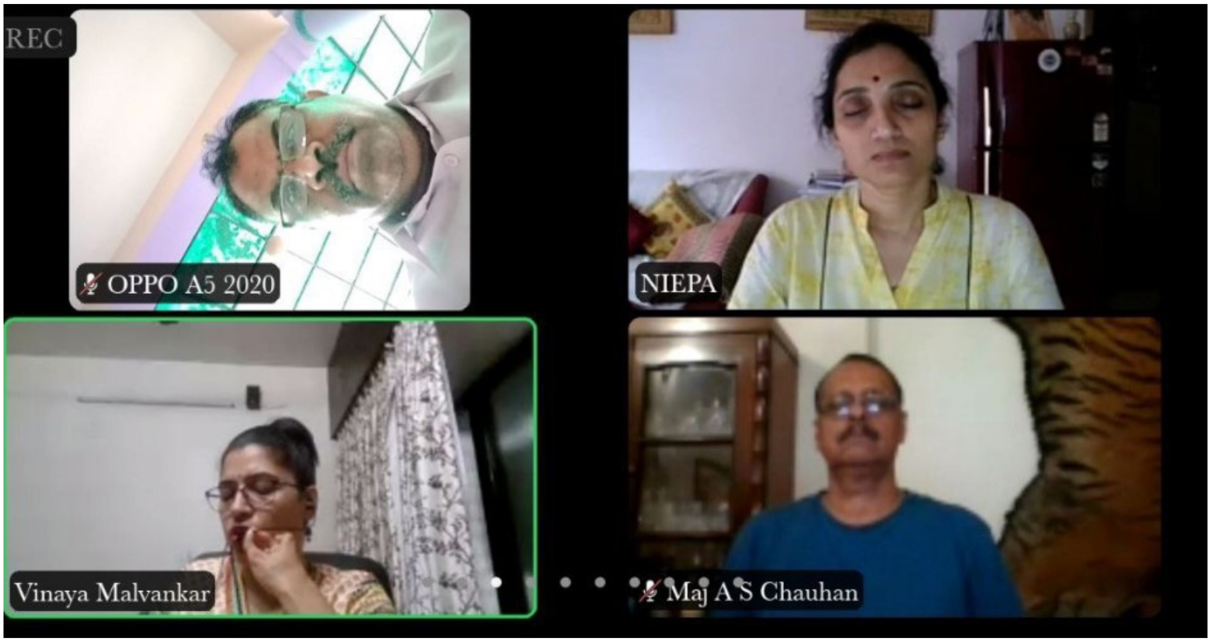

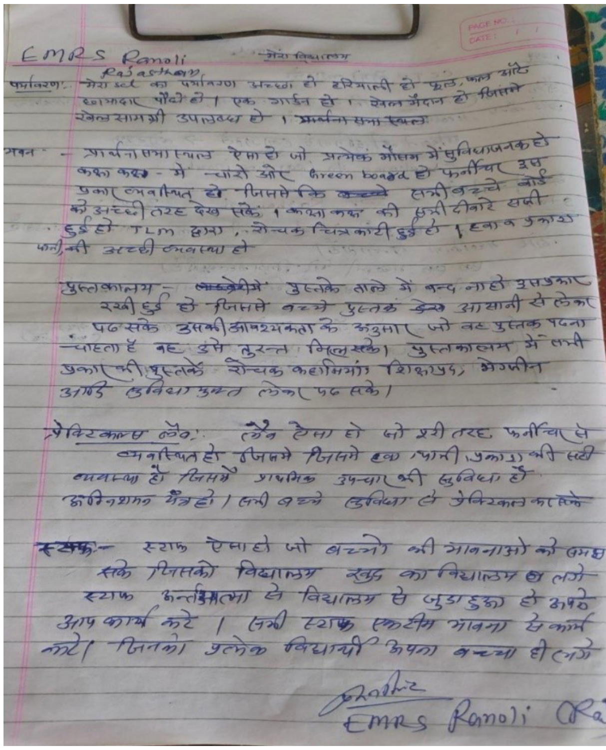

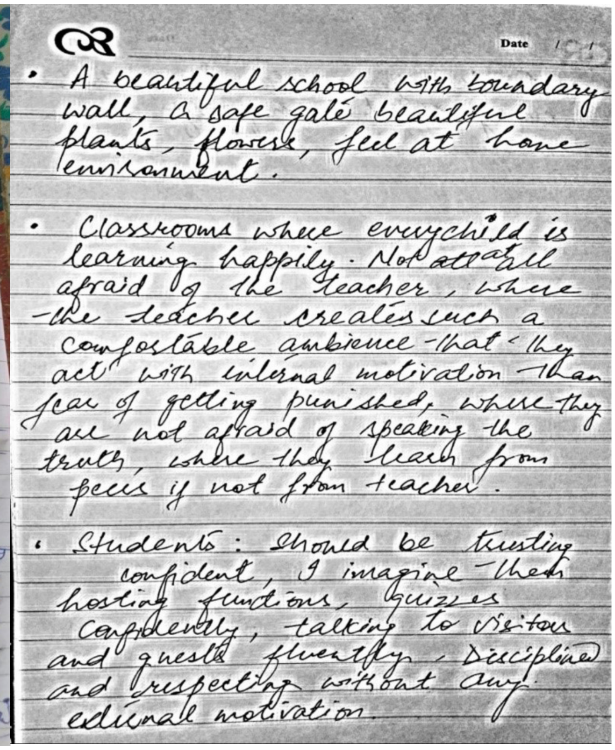

• A beautiful school with boundary wall, a safe gate beautiful plants, flowers, feel at home environment.

• Classrooms where every child is learning happily. Not at all afraid of the teacher, where the teacher creates such a comfortable ambience that they act with internal motivation than fear of getting punished, where they are not afraid of speaking the truth, where they learn from peers if not from teacher.

• Students: Should be trusting confident, I imagine them hosting functions, quizzes confidently, talking to visitors and guests fluently. Disciplined and respecting without any external motivation.

की चरणबद्ध तरीके से योजना बनाई गई है, इसलिए प्रशिक्षण के दूसरे सेट यानी प्रधानाध्यापकों के द्वितीय बैच के लिए प्रशिक्षण ईएमआरएस प्रधानाचर्यों के बैच– I के लिए अनुवर्ती कार्यशाला के अगले सेट के समानांतर अगस्त 2021 में आयोजित किया जाना है। ईएमआरएस के लिए पहली बार इस तरह का क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। एनईएसटीएस का दृढ़ विश्वास है कि इस तरह के कार्यक्रम शिक्षकों के लिए वृतिक मानक वर्धन का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

2. आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन (एओएल) के सहयोग से शिक्षक विकास कार्यक्रम

आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन (एओएल) एक गैर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसका ध्यान आध्यात्मिक शिक्षा, मूल्य परक शिक्षा, बाल विकास आदि विभिन्न आयामों पर केंद्रित है। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन (एओएल) का बाल एवं किशोर विभाग विशेष रूप से शिक्षकों और छात्रों के समग्र विकास, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए कार्यक्रम डिजाइन करता है। फाउंडेशन (एओएल) का एक विशिष्ट शिक्षक प्रशिक्षण विभाग देश भर में स्कूल शिक्षकों के लिए शिक्षक विकास कार्यक्रम आयोजित करता है। एनईएसटीएस ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन (एओएल) के साथ ईएमआरएस शिक्षकों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए स्वनिर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए सहयोग स्थापित किया। एनईएसटीएस का विश्वास है कि शिक्षकों का, जोकि शिक्षा प्रणाली के प्राथमिक स्तंभ है, स्व–कल्याण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं से परिचय उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उनका वृत्तिक विकास और उन्नति। आख़िरकार शिक्षक का मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य छात्रों के शैक्षणिक विकास के सबसे बड़े अवयवों में से एक है।

इन परिणामों को ध्यान में रखते हुए, आर्ट ऑफ लिविंग ट्रस्ट के द्वारा 5–दिवसीय ऑनलाइन शिक्षक विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य आत्म–जागरूकता और आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया, जो जन्मजात गुणों को विकसित कर बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के साथ तनाव मुक्त और खुशहाल वातावरण तैयार करने का केंद्र है, को सहज और सुगम बनाना है। यह कार्यक्रम 28 सितंबर से 03 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किया गया था जिसमें 2 राज्यों– कर्नाटक और तेलंगाना के शिक्षकों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम चार चरणों अर्थात पूर्व–कार्यक्रम, कार्यक्रम, तीन फॉलो–अप के साथ पश्य– कार्यक्रम शोध आंकड़े और 40–दिवसीय शोध बिंदु में आयोजित किया गया था। फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत व्यापक प्रशिक्षण रिपोर्ट प्रतिभागियों की सकारात्मक और उत्साहजनक प्रतिक्रिया को उजागर करती है।

चित्र 2.3 शिक्षक प्रशिक्षण रिपोर्ट और कार्यक्रम प्रतिक्रिया की झांकी

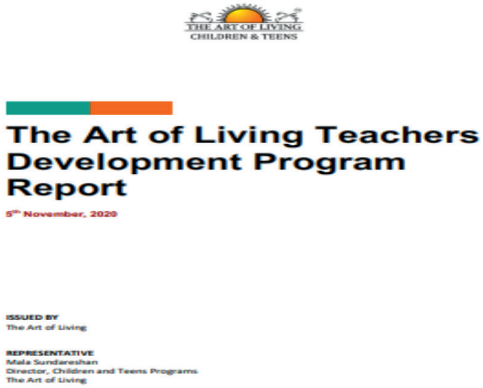
THE ART OF LIVING CHILDREN & TEENS

The Art of Living Teachers Development Program Report

5th November, 2020

ISSUED BY
The Art of Living

REPRESENTATIVE
Mala Sundareshan
Director, Children and Teens Programs
The Art of Living

Participants Feedback

Its really wonderful and much needed program for every individual to combat with day to day problems in our lives - **Balakrishna Adumulla**

It's one of the wonderful programme to us. Because I gained a lot of knowledge & learned lessons. Yoga classes very very important to improve our health & spirit. - **Anitha Nagajjanaver**

I have completely new experience in this program...Very scientific... Decrease negativity... Positive Thinking Etc.. - **BORANNA B**

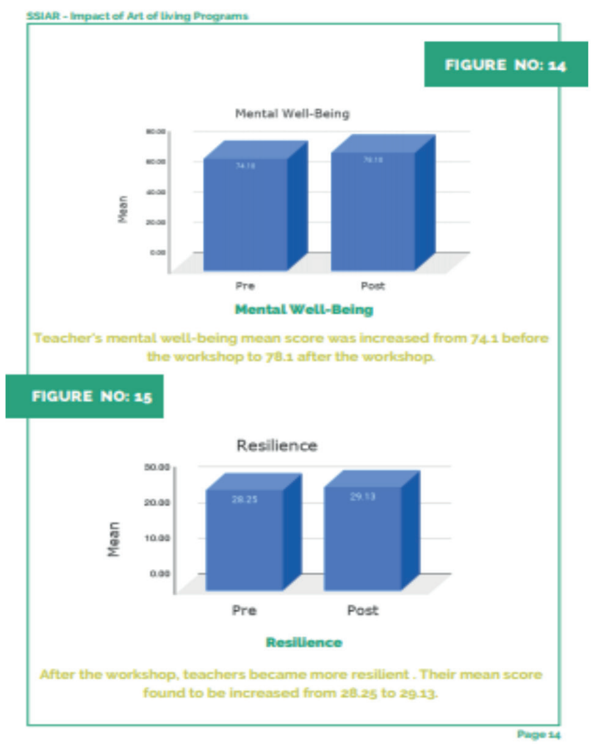

SSIAR - Impact of Art of living Programs

KEY FINDINGS

Post workshop

REDUCED JOB STRESS

- One of the key findings is Teachers found their job is less stressful evident from figure no. 9 & figure no. 18
- Reduction was 6.3% on an average.
- Also their burnout was reduced, evident from figure no. 16

IMPROVED RESILIENCE

- Teachers resilience was improved evident from figure no. 15.

HIGHER PRODUCTIVITY

- Teachers productivity was increased evident from figure no. 20

EFFICACY RELATED TO INSTRUCTIONAL STRATEGY

- Teacher's efficacy related to instructional strategy was increased, evident from figure no. 21

INCREASED PERCEIVED ADMINISTRATIVE SUPPORT

- Teachers percieved higher support from the the administration, evident from figure no. 17.

SUPPORT AMONGST FELLOW TEACHERS

- Not only teachers felt they had more support from fellow teachers and staff members after the workshop, they also offered the comfort to their coworkers more than they had before the workshop, evident from figure no. 11

GREATER MENTAL WELL BEING

- Teachers experienced increase in mental well being, evident from figure no. 14

Page 19

प्रतिभागियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, देश के सभी नियमित ईएमआरएस शिक्षकों के लिए अगले 6 महीनों में प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए एओएल शिक्षक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया गया है ।

3. भारतीय भौतिकी शिक्षक परिषद् (आईएपीटी) के साथ सहयोग से माध्यमिक स्तर के भौतिकी शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

आईएपीटी एक स्वैच्छिक संगठन है जो 1984 में अपनी स्थापना से भौतिकी शिक्षण एवं शिक्षक की गुणवत्ता के उन्नयन के लिए सभी स्तरों पर कार्य कर रहा है। देशभर में फैले हुए लगभग 1500 संगठनों से लगभग 6500 आजीवन सदस्यों के साथ अब यह एक प्रमुख संगठन के रूप में विकसित हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के ज्ञान, दक्षताओं और कौशल का निरंतर उन्नयन अनिवार्य है। इस दृढ़ प्रतिज्ञान के मद्देनजर, एनईएसटीएस ने ईएमआरएस के माध्यमिक स्तर के विज्ञान शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम बैच को आयोजित करने के लिए आईएपीटी के साथ सहयोग स्थापित किया था। यह कार्यक्रम 19 अक्टूबर से 23 अक्टूबर, 2020 तक आयोजित किया गया था।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री एच.सी. वर्मा, पूर्व प्रोफेसर, आईआईटी–कानपुर ने अपने औपचारिक सम्बोधन में शिक्षकों को भौतिकी पढ़ाने के लिए प्रभावी शैक्षणिक पद्धतियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में तीन राज्यों– मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से लगभग 60 माध्यमिक स्तर के ईएमआरएस विज्ञान शिक्षक शामिल हुए। कार्यशाला का उद्देश्य शिक्षकों के वैचारिक ज्ञान में वृद्धि करना था। कार्यशाला अनुखंडों में पदार्थ–परमाणु–अणु, बल, गति, गुरुत्वाकर्षण, कार्य और ऊर्जा जैसे विषय शामिल किये गए थे। शिक्षकों को कक्षा के अंदर अपनाए जा सकने वाले संकल्पना निर्माण शिक्षण–अधिगम से परिचित कराने के लिए प्रशिक्षण में अनुभवात्मक तरीकों जैसे एनिमेशन, व्यावहारिक परिक्षण का इस्तेमाल किया गया।

चित्र 2.4 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के ईएमआरएस शिक्षकों के लिए भौतिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम बैच–1 की झलकियां

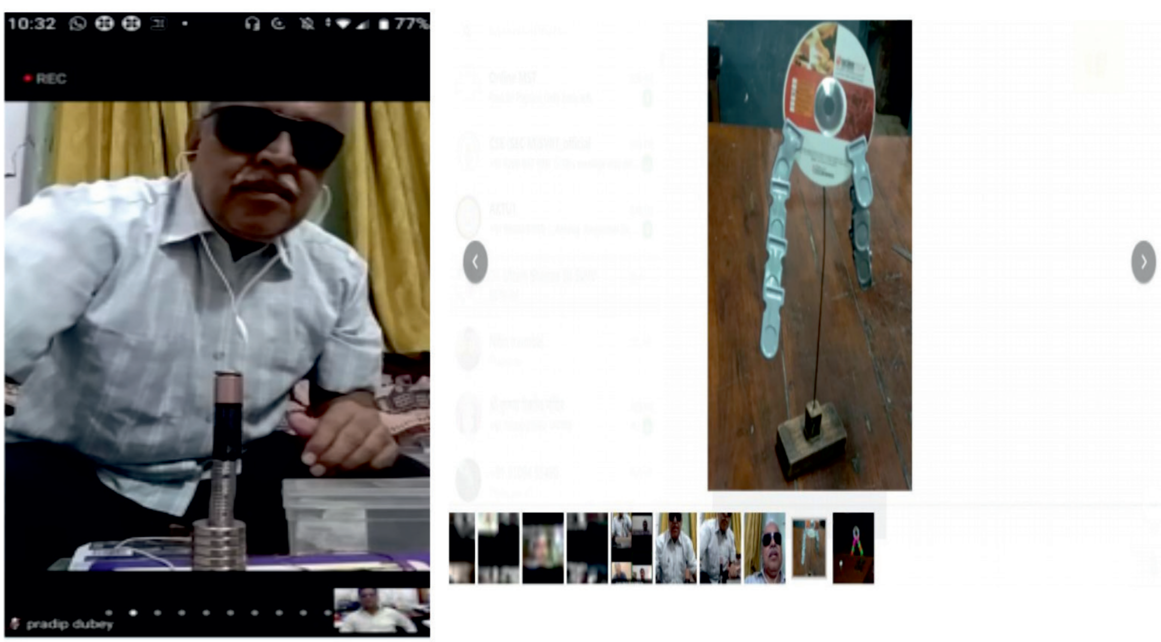

प्रत्येक आईएपीटी प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन चरणों में विस्तारित हैः पूर्व–मूल्यांकन, कार्यशाला और पश्य–मूल्यांकन।

बैच–I के प्रतिभागियों से प्राप्त आशाजनक प्रतिक्रिया के मद्देनजर, गुजरात के माध्यमिक स्तर के ईएमआरएस विज्ञान शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए दूसरा बैच का आयोजन किया गया था। यह एक 5 दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम था जोकि 15 फरवरी से 19 फरवरी, 2021 तक निर्धारित किया गया था। पद्मश्री अनिल गुप्ता (पूर्व–प्रोफेसर, आईआईएम, अहमदाबाद), विशिष्ट अतिथि ने औपचारिक संबोधन में ईएमआरएस शिक्षकों को विज्ञान शिक्षण में जिज्ञासा और रचनात्मकता का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की मुख्य विशेषता यह थी कि कार्यक्रम का संचालन द्विभाषी तरीके से किया जाता था और साथ ही क्षेत्रीय भाषा अर्थात गुजराती में भी किया जाता था।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का अगला बैच संभवतया जुलाई, 2021 में महाराष्ट्र और कर्नाटक के ईएमआरएस शिक्षकों के लिए आयोजित होगा।

चित्र 2.5 गुजरात के ईएमआरएस शिक्षकों के लिए भौतिकी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम बैच –2 से आशुचित्र

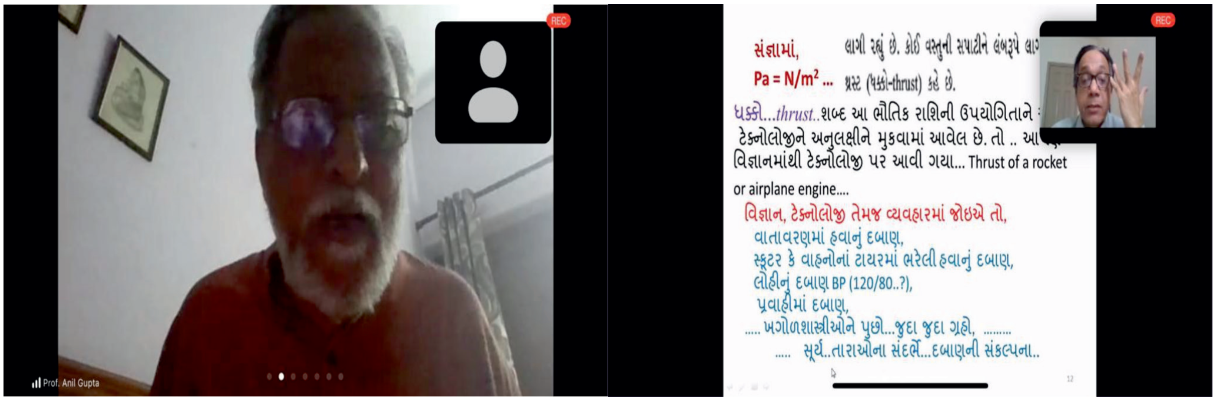

4. अटल नवाचार मिशन (एआईएम), नीति आयोग के सहयोग से ईएमआरएस में अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) की स्थापना

अटल नवाचार मिशन (एआईएम) देश भर में नवप्रवर्तन और उद्यमिता की संस्कृति के निर्माण और संवर्धन के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। 'भारत में दस लाख बच्चों को आधुनिक अविष्कारक (Neoteric Innovators) के रूप में विकसित करने के दृष्टिकोण के साथ, अटल नवाचार मिशन पूरे भारत में स्कूलों में अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं (एटीएल) स्थापित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य युवा मष्तिष्क में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पनाशीलता का पोषण तथा डिजाइन मानसिकता, संगणकीय सोच, अनुकूलक शिक्षा, भौतिक कंप्यूटिंग आदि जैसे कौशल विकसित करना है।

ईएमआरएस में अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला की स्थापना के लिए एआईएम, नीति आयोग के साथ सहयोग स्थापित किया गया था। एटीएल स्कूली बच्चों को एक ऐसा कार्यक्षेत्र प्रदान करता है जहां उनका युवा मष्तिष्क उनके विचारों/अवधारणाओं को एक आकृति प्रदान कर सकता है। अब तक 18 ईएमआरएस में एटीएल स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन स्कूलों में एटीएल स्थापना की प्रक्रिया पूर्ण कार्यात्मक प्रयोगशालाओं से लेकर पीएफएमएस पंजीकरण की प्रतीक्षा कर रहे स्कूलों तक विभिन्न चरणों में है।

तालिका 2.2 एटीएल स्थापना के लिए ईएमआरएस स्कूलों की निधिकरण स्थिति

क्र. सं.	श्रेणी	ईएमआरएस की संख्या
1.	वित्त पोषित/संवितरित स्कूल	13
2.	संवितरण तैयार	2
3.	पीएफएमएस पंजीकरण में	2
4.	अनुपालन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई	1

एनईएसटीएस, समीक्षा बैठक के माध्यम से स्कूलों के एटीएल नियंत्रण–पट्ट/डैशबोर्ड पर उनकी प्रगति, किए गए प्रयोगों, आविष्कारों, आयोजित मेलों इत्यादि की निरंतर निगरानी कर रहा है। एटीएल टीम, जोकि नवाचार की संस्कृति और उद्यमिता को समर्पित रूप से आरंभ करने के लिए प्रेरित है, के द्वारा भी बैक–एंड डेटा पुनर्प्राप्ति के माध्यम से स्कूलों के कार्य निष्पादन की निगरानी की जाती है। इस संबंध में, मिशन मोड दृष्टिकोण को अपनाते हुए 100 ईएमआरएस में एटीएल स्थापना के लिए भविष्य का रोडमैप तैयार किया गया है।

तालिका 2.3 ईएमआरएस में एटीएल स्थापना के लिए भावी रोडमैप

निर्गत	स्कूल स्तर पर संकेतक	परिणाम	छात्र स्तर पर संकेतक
नवाचार और उद्यमिता के लिए मंच का निर्माण	1.1 एटीएल की स्थापना 1.2 एटीएल में स्कूल स्टाफ/शिक्षकों को शामिल करना 1.3 एटीएल नवाचार चुनौतियां	भारत में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना/ प्रोत्साहित करना	1.1 छात्रों की एटीएल नवाचार परियोजनाओं में भागीदारी 1.2 एटीएल छात्रों की प्रोटोटाइप/ मूल अभिनव रचनाएं

5. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के सार्वजनिक पोर्टल में ईएमआएस का एक पृथक स्कूल इकाई के रूप में समावेशन

एनईएसटीएस ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार – 2020, शिक्षा मंत्रालय के सार्वजनिक पोर्टल में जेएनवी, केवी और सैनिक स्कूलों की तरह ईएमआरएस को एक पृथक स्कूल इकाई के रूप में शामिल कराने के लिए एक सक्रिय पहल की है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का आयोजन शिक्षकों की प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत के द्वारा गुणवत्ता पूर्ण स्कूली शिक्षा के माध्यम से छात्रों के जीवन को समृद्ध बनाने में उनके अद्वितीय योगदान को सम्मान देने के लिए किया जाता है। ईएमआरएस शिक्षकों के अद्वितीय योगदान को, ईएमआरएस को एक विशिष्ट स्कूल श्रेणी के रूप में शामिल कराने के माध्यम से, सराहने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ साहचर्य स्थापित किया गया।

तद्नुसार, सभी विशिष्ट अनुभव और क्षमताओं वाले ईएमआरएस शिक्षकों और प्राचार्यों को एक अलग ईएमआरएस श्रेणी के तहत राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2020 के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।

हर साल इन पुरस्कारों का आयोजन देश के कुछ बेहतरीन शिक्षकों के अद्वितीय योगदान को सराहने के लिए तथा उन शिक्षकों की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की प्रतिबद्धता को सम्मानित

करने के लिए किया जाता है।

ईएमआरएस के शिक्षकों और प्राचार्यों ने पहली बार शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, 2020 में भाग लिया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, 2020 के लिए श्रीमती सुधा पेनुली, उप–प्राचार्य, ईएमआरएस कलसी देहरादून, उत्तराखंड को चुना गया जो देश भर में चयनित सैंतालीस उत्कृष्ट शिक्षकों में से एक थीं।

चित्र 2.6 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, 2020 श्रीमती सुधा पेनुली, उप–प्राचार्या, ईएमआरएस कलसी, उत्तराखंड को प्रदान किया गया

श्रीमती सुधा पेनुली की यह उपलब्धि जनजातीय कार्य मंत्रालय और राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति के ठोस प्रयासों द्वारा स्कूलों को आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए दिए गए सहयोग का एक प्रमाण है। उनके इस अभियान की सबसे अनूठी विशेषताओं में अभिनव प्रयोग जैसे एकलव्य जन्मदिन उपवन की पहल, शिक्षा में रंगमंच, एकलव्य जनजातीय संग्रहालय, कौशल विकास कार्यशालाएँ आदि शामिल हैं। ऐसा विश्वास है कि उनकी दृढ़ उपलब्धि पूरे ईएमआरएस शिक्षण बिरादरी को आने वाले वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता दिखाने के लिए प्रेरित करेगी।

6. ईएमआरएस के छात्रों के लिए स्टेपएप अधिगम ऐप (Learning App) का परिनियोजन

STEPapp, EduisFun Technologies Pvt Ltd द्वारा कक्षा VI से XII तक के गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए अधिगम को रोचक और मनोरंजक बनाने हेतु विकसित एक गेमीफाइड, व्यक्तिगत, इंटरैक्टिव, अनुकूली डिजिटल लर्निंग ऐप है, जिस का उपयोग ईएमआरएस छात्रों के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य चार प्रमुख मापदंडों को मजबूत करना है जो शिक्षा को प्रभावी और पूर्ण बनाते हैं। ये प्रमुख प्राचल अभिगम्यता/एक्सेसिबिलिटी, गुणवत्ता/क्वालिटी, आनंददायकता/एन्जॉयबिलिटी और वहनीयता/अफोर्डेबिलिटी हैं।

ऐप की अन्य प्रासंगिक विशेषता है ऐप के कार्यान्वयन की आसान और त्वरित निगरानी के लिए स्कूल डैशबोर्ड सुविधा। STEPapp प्रदाताओं के साथ सहयोग स्थापित करने की इस तरह की पहल कोविड–19 महामारी के मद्देनजर छात्रों को अपनी शिक्षा जारी रखने की आवश्यकता को संज्ञान में लेने के बाद की गई थी। STEPapp को महाराष्ट्र राज्य में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। छात्रों और शिक्षकों से मिली उत्साहजनक प्रतिक्रिया ने पायलट कार्यान्वयन की पुष्टि की जिसके कारण ऐप का विस्तारण देश भर के सभी ईएमआरएस में किया गया।

राज्यों में STEPapp के कार्यान्वयन पर प्रतिक्रिया का आकलन करने के लिए एक ऑनलाइन फीडबैक टूल डिजाइन किया गया और इसे राज्य स्तर पर प्रशासित किया गया था। ऐप की उपयोगिता और प्रासंगिकता पर सकारात्मक और उत्साहजनक प्रतिक्रिया के कारण इस ऐप को एक मुख्य परियोजना के तौर पर भारत भर में लागू किया गया। शिक्षकों और प्राचार्यों द्वारा स्कूल स्तर पर कंपनी द्वारा प्रदत्त स्कूल डैशबोर्ड की अनूठी विशेषता के माध्यम से छात्रों के प्रदर्शन पर निगरानी रखी जा सकती है तथा रचनात्मक और सार्थक अधिगम के लिए हस्तक्षेप या उपचारात्मक उपाय अपनाए जा सकते हैं।

वर्तमान में, लगभग 37000 छात्रों ने ऐप में पंजीकरण किया है। कोविड–19 महामारी और शैक्षिक प्रणाली पर इसके समग्र प्रभाव को देखते हुए यह अनिवार्य है कि छात्रों की शैक्षणिक यात्रा को विराम न लगे। STEPapp जैसे हस्तक्षेपों के माध्यम से, एनईएसटीएस यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी महामारी के दौरान छात्र की शिक्षा बाधित न हो।

चित्र 2.7 STEPapp डैशबोर्ड की विशेषताएं

डैशबोर्ड तत्व

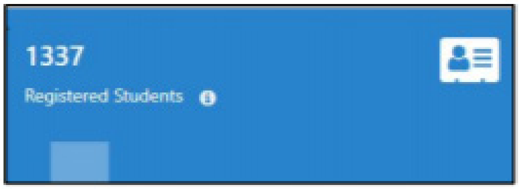

REGISTERED STUDENTS represents the number of students that have downloaded the app and registered their mobile numbers on STEPapp.

ACTIVE STUDENTS represent the number of students that have registered and are actively playing on STEPapp in the past one week or less.

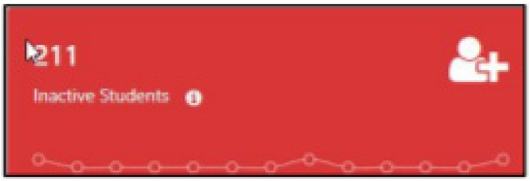

INACTIVE STUDENTS represent the number of students that have registered but haven't been active on STEPapp for last one week.

डैशबोर्ड तत्व

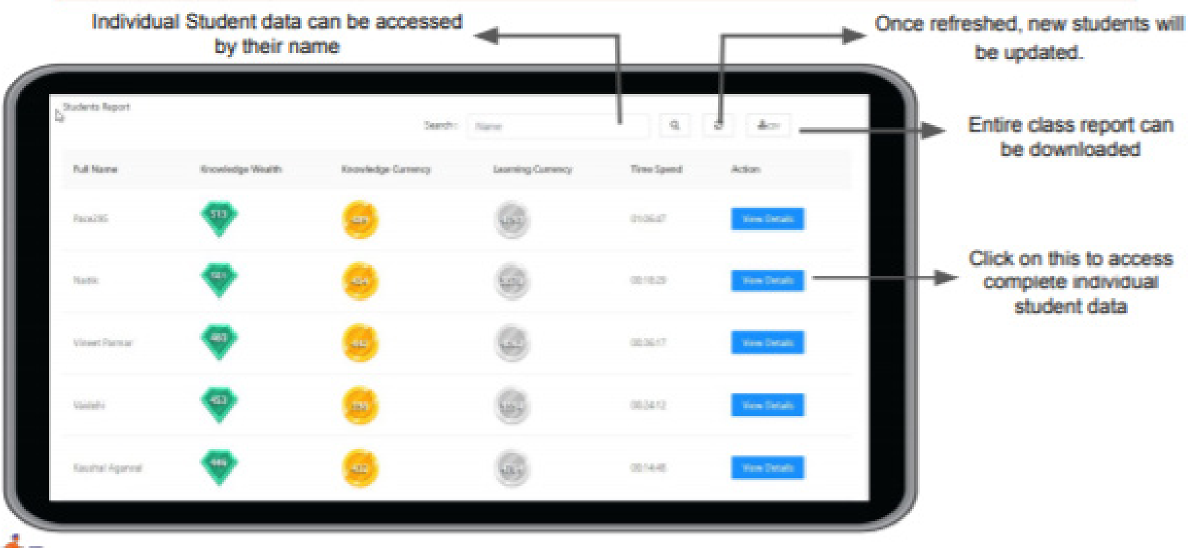

7. ईएमआरएसएस में डिजिटल और तकनीकी पहल

कोविड–19 महामारी, जिसने दुनिया को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था, की वजह से शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन जरूरी हो गया था। शैक्षणिक वर्ष 2020–21 में विभिन्न राज्यों में आंशिक या पूर्ण बंद के आदेश की अनुपालना में स्कूलों को बंद किया गया जिससे शैक्षिक काम काज बुरी तरह से प्रभावित हुआ। अन्य स्कूलों की तरह, ईएमआरएस ने भी अधिगम की मिश्रित प्रणाली को अपना कर इन व्यवधानों से उबरने के लिए कड़ी मेहनत की। वर्तमान महामारी के बावजूद, शिक्षकों और छात्रों ने घर पर रहते हुए अपनी शैक्षिक यात्रा को निर्बाध जारी रखा। लॉकडाउन के दौरान ईएमआरएस की शिक्षण–अधिगम प्रक्रियों की लगातार निगरानी एक ऑनलाइन सर्वेक्षण फॉर्म के माध्यम से की गई थी। स्कूलों द्वारा प्राप्त प्रतिक्रियाओं से यह पता चला कि लॉकडाउन के दौरान स्कूलों में मिश्रित शिक्षण–अधिगम मॉडल तकनीकी प्लेटफॉर्म जैसे Youtube, DIKSHA, Whatsapp, Google Classroom, Mobile Apps (STEPapp) आदि का उपयोग करते हुए अपनाया गया था।

चित्र 2.8 लॉकडाउन के दौरान ईएमआरएस द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन

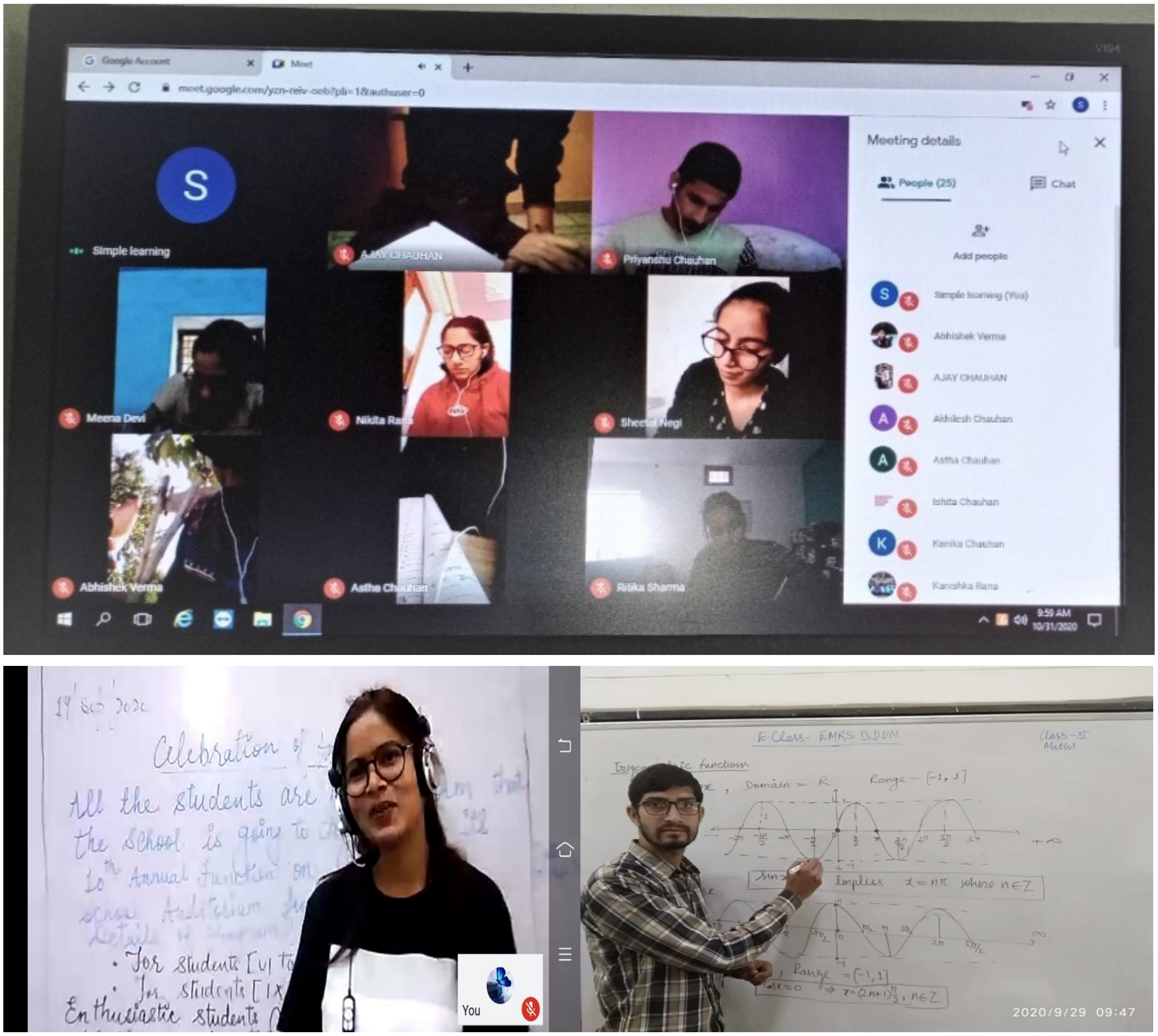

लॉकडाउन अवधि का उपयोग ईएमआरएस में तकनीकी बुनियादी ढांचे के अंतर विश्लेषण का एक सर्वेक्षण करने के लिए भी किया गया था।

यह विश्लेषण मुख्य रूप से स्कूलों की तकनीकी क्षमता और डिजिटल बुनियादी ढांचे की उपलब्धता तथा शिक्षकों की तैयारी और तकनीकी को अपनाने की तत्परता का आकलन तथा भविष्य के लिए तकनीकी क्षमता का निर्णय लेने के लिए किया गया था। छात्रों की शैक्षिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, सभी ईएमआरएस की ऑनलाइन ढांचागत क्षमता का आकलन करने के लिए एक व्यापक कार्यवाही शुरू की गई थी। प्रशासन द्वारा एक ऑनलाइन सर्वेक्षण के माध्यम से चार तकनीकी मानकों–कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की मौजूदगी और कार्य क्षमता, स्मार्ट कक्षाओं की उपलब्धता, कंप्यूटर संसाधन कक्ष तथा तकनीकी संसाधन के आधार पर स्कूलों से उनकी तकनीकी तैयारियों पर नियमित जानकारी मांगी गई थी। एक अनुपूरक प्रपत्र भी छात्रों के ऑनलाइन शैक्षिक अनुभवों– चुनौतियों और आगे की राह पर नज़र रखने के लिए प्रशासित किया गया था।

कोविड–19 महामारी के मद्देनजर, ईएमआरएस छात्रों के लिए ई–लर्निंग को सक्षम बनाने के लिए, दो प्रमुख पहल अर्थात देश भर में 100 ईएमआरएस में स्मार्ट क्लास सक्षमता तथा 10 वीं और 12वीं कक्षा के आदिवासी छात्रों के लिए 30000 टेबलेट्स की खरीद योजना बनाई गई है।

8. एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2020–21 की सूची में दो ईएमआरएसएस

एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2020–21 ने सी–फोर दिल्ली के सहयोग से अपना 14वां वार्षिक एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग सर्वेक्षण संपन्न किया। 2000 स्कूलों की 14 मानकों पर रेटिंग में, दो EMRSs-ईएमआरएस नवसारी, गुजरात और ईएमआरएस वलसाड, गुजरात सह–शैक्षिक बोर्डिंग स्कूल श्रेणी में क्रमशः 43वें और 45वें स्थान पर है। ये उपलब्धियां उस शैक्षिक उत्कृष्टता का बयान करती हैं जिसे आने वाले वर्षों में हासिल करने के लिए प्रत्येक ईएमआरएस प्रतिबद्ध है।

(ख) ईएमआरएस में गुणवत्ता शिक्षा में सुधार के लिए आगे की राह

ईएमआरएसएस की नींव जिस पर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की अधिरचना की जानी है को मजबूत करने के लिए एनईएसटीएस राष्ट्रीय महत्व के शीर्ष निकायों के साथ गठजोड़ और संपर्क बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। यह आशा की जाती है कि इस तरह की दीर्घकालीन साझेदारी आने वाले वर्षों में ईएमआरएसएस का उत्कृष्ट स्कूल बनने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

चित्र 2.9 शैक्षिक क्षेत्र में वर्ष 2021–2022 के लिए राष्ट्रीय शीर्ष निकायों के साथ स्थापित सहयोग

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

शिक्षा मंत्रालय

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

एनईएसटीएस द्वारा विभिन्न मंत्रालयों जैसे शिक्षा मंत्रालय के साथ विचार–विमर्श शुरू कर के देश भर के सभी ईएमआरईएसएस में समग्र शिक्षा के तहत शिक्षा योजनाओं और परियोजनाओं के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पीएमकेवीवाई और एनएसडीसी जैसे कार्यक्रमों, योजनाओं और परिषदों के माध्यम से कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों को शुरू और एकीकृत करने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमओएसडी एडं ई) के साथ गठबंधन भी अपेक्षित है।

प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग (एनईएटी) पाठ्यक्रम, संस्थान की नवाचार परिषद, स्कूली छात्रों के लिए संयुक्त हेकाथॉन आदि जैसे कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एनआईसीटीई) जैसे संगठनों के साथ घनिष्ठ सहयोग की प्रगति भी दृष्टिगोचर है।

विभिन्न कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर वेबिनार के आयोजन, ईएमआरएस शिक्षकों के लिए अनुभवात्मक शिक्षण कार्यशाला का आयोजन, कौशल शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों की शुरुआत, कक्षा VI के छात्रों के लिए ब्रिज कोर्स का विकास आदि के माध्यम से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएससी) के साथ सहयोग स्थापित करने के लिए की गई प्रमुख हस्तक्षेप और पैठ को देखा जा सकता है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के साथ एनईएसटीएस का जुड़ाव आने वाले समय में एक और बड़ी उपलब्धि साबित होगा। NISHTHA शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, शैक्षिक किट की खरीद, ईएमआरएस छात्रों के अधिगम परिणामों की उपलब्धि का सर्वेक्षण, मोबाइल टैबलेट के लिए ई–कंटेंट क्षमता जैसे कई कार्यक्रम आने वाले वर्षों के लिए प्रगति के प्रमुख स्त्रोत होंगे।

एनईएसटीएस ने कई पहल, जैसे शिक्षकों के प्रदर्शन मूल्यांकन का मानकीकरण, सामान्य प्रवेश नीति आदि, करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही ईएमआरएस में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार का अभियान जारी है।

अध्याय 3

ईएमआरएस–प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)

प्रबंधन सूचना प्रणाली को योजना के एमआईएस के रूप में जाना जाता है, जोकि आज के परिवेश में अनिवार्य है। एमआईएस शिक्षा योजना एवं अन्य योजनाएं की दैनिक गतिविधियों का मूल्यांकन करने में मदद करता है। वृहत्त आकड़ों का प्रसंस्करण करने की क्षमता एमआईएस की सबसे अच्छी विशेषता है। ईएमआरएस के विकास के साथ, प्रबंधन सूचना प्रणाली की अनिवार्य आवश्यकता महसूस की गई जो प्रगति पर नज़र रखने, क्षेत्र की समस्याओं को हल करने और निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शक बन कर सकती है।

देश भर में ईएमआरएसएस की प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से, एनईएसटीएस को निधि की उपलब्धता, निधि हस्तांतरण, स्कूलों के निर्माण, शैक्षणिक गतिविधियों, मानव संसाधन की स्थिति आदि जैसी सूचनाओं की आवश्यकता महसूस हुई। हर स्तर पर निर्णय लेने के लिए नियमित आधार पर एमआईएस में सूचना को एकत्रित किया जाना प्रस्तावित है।

(क) ईएमआरएस–एमआईएस के क्षेत्र में प्रगति

ईएमआरएस–एमआईएस के क्षेत्र में त्वरित प्रगति हुई है, जिसका बिंदुवार सारांश निम्नानुसार है:

1. ईएमआरएस की प्रगति/कार्यान्वयन स्थिति को देखते हुए, ईएमआरएस दिशानिर्देशों, एनईएसटी के उपनियमों और नियमों, नीति आयोग के स्कूल प्रदर्शन सूचकांक, यूडीआईएसई दस्तावेज आदि को ध्यान में रखते हुए ईएमआरएस–एमआईएस के विस्तृत दस्तावेज और रिपोर्टिंग प्रारूप अनुसार विकसित किए गए हैं।
2. ईएमआरएस–एमआईएस पोर्टल को पीरामल फाउंडेशन द्वारा एनईएसटीएस और जनजातीय कार्य मंत्रालय के ईएमआरएस विभाग के मार्गदर्शन में विकसित किया जा रहा है।

चित्र 3.1 ईएमआरएस–एमआईएस वेबसाइट और पोर्टल की झलक

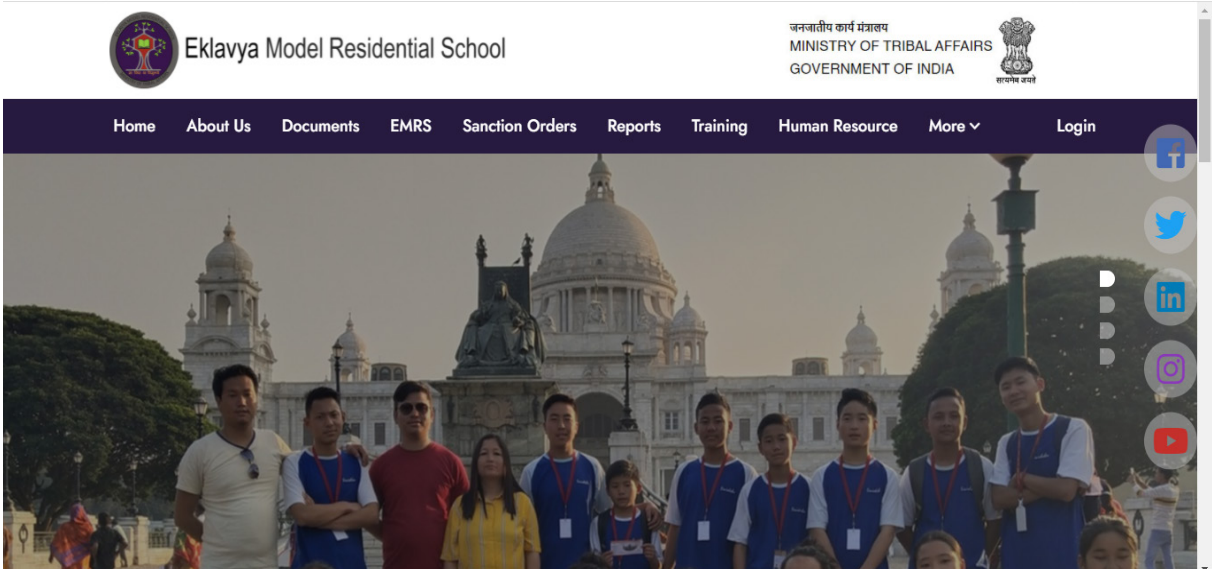

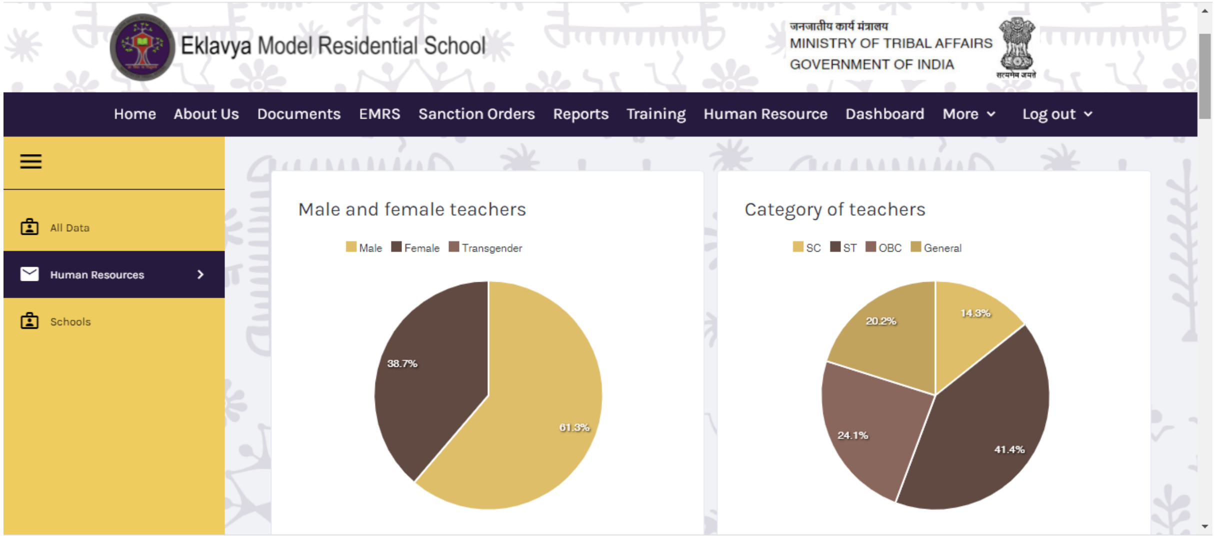

3. ईएमआरएस कर्मचारियों से संबंधित जानकारियों को एमआईएस में एकत्रित करने के लिए मानव संसाधन मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। मानव संसाधन मॉड्यूल का भाग–क तैयार है और पोर्टल पर सार्वजनिक किया जा चुका है, जबकि स्कूल मॉड्यूल भाग–क प्रक्रियाधीन है।

4. तकनीकी टीम द्वारा साझा किए गए ईएमआरएस–एमआईएस पोर्टल विकास में मासिक योगदान हैं:

सारणी 3.1 एमआईएस विकास में नियोजित उन्नति

विवरण									
एचआर मॉड्यूल–लाइव, एचआर डैशबोर्ड और मास्टर डेटा डाउनलोड, राज्य लॉगिन, स्कूल मॉड्यूल– फ्रेमवर्क									
स्कूल मॉड्यूल–डिज़ाइन, मास्टर डेटा डाउनलोड–स्कूल स्तर, छात्र मॉड्यूल–फ्रेमवर्क									
स्कूल मॉड्यूल–लाइव, स्कूल मॉड्यूल भाग बी–डिज़ाइन, मास्टर डेटा डाउनलोड, छात्र मॉड्यूल–डिज़ाइन									
छात्र मॉड्यूल, स्कूल मॉड्यूल भाग बी–लाइव, वित्तीय योजना मॉड्यूल–डिजाइन, डीपीआर–डिजाइन, पीएफएमएस लिंकेज पहल, पंजीकरण मॉड्यूल									
शिक्षक लॉगिन, फंड ट्रांसफर मॉड्यूल–डिजाइन, व्यय मॉड्यूल, पीएफएमएस लिंकेज पूर्ण।									
डैशबोर्ड को पूरा करना, स्टेटिक पेजों को पूरा करना, वेंडर लॉगिन, फाइनल डैशबोर्ड पर काम शुरू करना।									
रिपोर्ट अनुभाग, स्टेटिक पेज, सुरक्षा ऑडिट प्रक्रिया की शुरुआत।									
सुरक्षा लेखा परीक्षा को पूरा करना।									
डेटा संग्रह की सुविधा, दैनिक समस्या समाधान, परिवर्तन अनुरोध।									

अध्याय 4

ईएमआरएस भवनों का निर्माण

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने उन उप–जिलों की पहचान की है जहां नए स्कूल खोले जाने हैं। इन स्कूलों को ईएमआरएस के लिए न्यूनतम 15 एकड़ और ईएमडीबीएस के लिए 5 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है। इस भूमि को राज्य सरकारों द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जानी है। ईएमआरएस और ईएमडीबीएस के लिए अनुमोदित निर्माण अनुदान इस प्रकार हैः

क. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)

हॉस्टल और स्टाफ क्वार्टर सहित स्कूल परिसर के लिए पूंजी लागत 20.00 करोड़ रुपये तक होगी, जिसमें पूर्वोत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों, दुर्गम क्षेत्रों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त 20 प्रतिशत तक का प्रावधान होगा। हालांकि, 2021–22 के केंद्रीय बजट में, ईएमआरएसएस की निर्माण लागत को बढ़ाकर 37.80 करोड़ रुपये मैदानी क्षेत्रों में और पूर्वोत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों, दुर्गम क्षेत्रों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 48 करोड़ रुपये करने की घोषणा की गई है।

ख. एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल (ईएमडीबीएस)

उत्तर पूर्व, पहाड़ी क्षेत्रों, दुर्गम क्षेत्रों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए अन्य सुविधाओं सहित स्कूल परिसर के लिए पूंजीगत लागत अतिरिक्त 20 प्रतिशत तक के प्रावधान के साथ 14.00 करोड़ रुपये तक होगी।

ग. खेल के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)

खेलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए पूंजी लागत 5.00 करोड़ रुपये तक होगी जिसे विस्तृत डीपीआर के आधार पर और स्थायी समिति के अनुमोदन के बाद उत्तरोत्तर बढ़ाकर अधिकतम 10 करोड़ रुपये किया जा सकता है।

(ख) निर्माण से संबंधित प्रमुख निर्णयः

क. सभी चिन्हित ब्लॉकों में निर्माण कार्य केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, केंद्र सरकार/राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों और राज्य सरकारों को निम्नानुसार आबंटित किया गया हैः

सारणी 4.1 निर्माण कार्य का सारांश

क्र.सं.	कार्यान्वयन एजेन्सी	स्कूलों की संख्या
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों	370
2	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	40
3	राज्य सरकार	42
	कुल	**452**

ख. ईएमआरएसएस के निर्माण के लिए एनईएसटीएस और निम्नलिखित सार्वजनिक उपक्रमों के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

1. टीसीआईएलः टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड,
2. एचएससीएलः हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता
3. एनपीसीसीः राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड
4. ईपीआईएलः इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली
5. वाप्कोसः वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, गुरुग्राम
6. मेनडिकोः मणिपुर औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, मणिपुर
7. बी एंड आरः ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली
8. एमटीडीसीः मणिपुर आदिवासी विकास निगम लिमिटेड, मणिपुर

ग. ईएमआरएस के निर्माण के लिए मानदंड/आवश्यक विशेषताएं, योजना, ऊंचाई, भवनों के खंडों, मॉडल लेआउट आदि को एनईएसटी निर्माण विंग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, नवोदय विद्यालय समिति के इंजीनियरिंग सेल और अन्य तकनीकी विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार–विमर्श के आधार पर मानकीकृत किया गया था।

सारणी 4.2 निर्माण घटकों के लिए मानक क्षेत्र की आवश्यकताएं

क्र.सं.	घटक	मानक क्षेत्र (वर्ग मीटर में)
1	स्कूल भवन (जी+1)	2580
2	लड़कों का छात्रावास (जी+1)	2280
3	बालिका छात्रावास (जी+1)	2280
4	वार्डन निवास (लड़कों का छात्रावास)	80
5	वार्डन निवास (बालिका छात्रावास)	80
6	रसोई और भोजन	550
7	प्रधानाचार्य आवास	130
8	टाइप III आवास (जी+2)– आवास 15 संख्या	1200
9	टाइप II आवास (जी+2) – आवास 10 संख्या	700
10	अतिथि गृह	80
11	पानी टंकी 1 लाख लीटर	80
	कुल योग	**10040**

घ. परियोजना के विकास, तकनीकी पुनरीक्षण और विभिन्न एजेंसियों को सौंपे गए निर्माण कार्यों के अनुश्रवण के लिए सेवानिवृत्त अभियंताओं का एक तकनीकी विंग भी स्थापित किया गया है।

ङ. एनईएसटीएस ने देश भर में ईएमआरएस के निर्माण कार्यों के मानकीकरण के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए हैं:

1. भूमि उपयुक्तता और भूमि दस्तावेजों की जांच के लिए विस्तृत दिशानिर्देश।
2. मानदंडों का मानकीकरण, स्कूल भवन, हॉस्टल, संकाय और कर्मचारी निवास, खेल गतिविधियों और बाहरी परिसर विकास आदि के लिए विनिर्देश।
3. न्यूनतम 15 एकड़ भूमि मानदंड में छूट।
4. सीमित निधि को देखते हुए निर्माण कार्य के चरणों को अंतिम रूप देना।
5. ईएमआरएस परिसर के मास्टर लेआउट प्लान (एमएलपी) की तैयार करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश और जाँचसूची जारी करना।
6. ईएमआरएस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश और जाँचसूची।

(क) निर्माण की स्थिति

क. भौतिक प्रगति

सारणी 4.3 गतिविधियाँ अलग–अलग समय अवधि में फैली हुई हैं

गतिविधियाँ	2018–20	2020–21	2021–22	कुल
सीसीईए के अनुमोदन के अनुसार नए ईएमआरएस स्थापित करने के लिए चिन्हित ब्लॉक	150	150	152	452
निर्माण एजेंसी को आवंटित स्कूल (केंद्र / राज्य सार्वजनिक उपक्रम, सीपीडब्ल्यूडी, राज्य सरकार)	150	150	147	447
जनजातजीय कार्य मंत्रालय द्वारा चिन्हित ब्लॉकों में स्वीकृत ईएमआरएस	150	150		300
उपयुक्तता रिपोर्ट के आधार पर एनईएसटीएस द्वारा औपचारिक स्वीकृति	102	111		213
मास्टर लेआउट प्लान स्वीकृत, प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति निर्माण के लिए जारी	88	48		136
निर्माण शुरू/लगभग शुरू होने वाले				85

ख. वित्तीय प्रगति

सारणी 4.4 वित्तीय प्रगति निर्माण एजेंसी—वार / राज्य के नाम का सारणीबद्ध प्रस्तुतीकरण

एजेंसी / राज्य का नाम	2018—20 में स्वीकृत स्कूल	वित्त—वर्ष 2020—21 में जारी फंड (लाख में)	2020—21 में स्वीकृत स्कूल	वित्त—वर्ष 2020—21 में जारी फंड (लाख में)	वित्त—वर्ष 2020—21 में जारी कुल फंड (लाख में)	2021—2022 में स्वीकृत किये जाने वाले स्कूल	कुल ईएम आरएस आबंटित
सीपीडब्ल्यूडी							
आंध्र प्रदेश	5	3330.00	0	0.00	3330.00	0	5
हिमाचल प्रदेश	1	0.00	0	0.00	0.00	0	1
महाराष्ट्र	7	400.00	0	0.00	400.00	0	7
राजस्थान	0	0.00	8	5200.00	5200.00	1	9
तेलंगाना	5	3080.00	7	3200.00	6280.00	0	12
त्रिपुरा	6	3140.00	0	0.00	3140.00	0	6
सीपीडब्ल्यूडी कुल	**24**	**9950.00**	**15**	**8400.00**	**18350.00**	**1**	**40**
राज्य सरकार							
असम	1	700.00	0	0.00	700.00	0	1
मध्य प्रदेश	13	3696.00	0	0.00	3696.00	0	13
मिजोरम	5	2900.00	0	0.00	2900.00	0	5
नागालैंड	7	4200.00	7	1400.00	5600.00	3	17
ओडिशा	2	1000.00	0	0.00	1000.00	0	2
राजस्थान	4	3700.00	0	0.00	3700.00	0	4
राज्य सरकार कुल	**32**	**16196.00**	**7**	**1400.00**	**17596.00**	**3**	**42**
पीएसयूएस							
एचएससीएल	0	0.00	26	260.00	260.00	30	56
एनपीसीसी	30	306.00	47	470.00	776.00	15	92
वैप्कोस	59	598.40	2	20.00	618.40	6	67
एमटीडीसी	4	40.80	0	0.00	40.80	0	4
मैनिडको	0	0.00	8	80.00	80.00	37	45
ईपीआईएल	0	0.00	12	120.00	120.00	24	36
बी एंड आर	0	0.00	15	150.00	150.00	18	33
टीसीआईएल	1	10.20	18	180.00	190.20	13	32
पीएसयू योग कुल	**94**	**955.40**	**128**	**1280.00**	**2235.40**	**143**	**365**
कुल जारी 2020—21	**150**	**27101.4**	**150**	**11080**	**38181.40**	**147**	**447**

एजेंसी / राज्य का नाम	2018–20 में स्वीकृत स्कूल	वित्त–वर्ष 2020–21 में जारी फंड (लाख में)	2020–21 में स्वीकृत स्कूल	वित्त–वर्ष 2020–21 में जारी फंड (लाख में)	वित्त–वर्ष 2020–21 में जारी कुल फंड (लाख में)	2021–2022 में स्वीकृत किये जाने वाले स्कूल	कुल ईएम आरएस आबंटित
प्रतिबद्ध देयता जारी किया गया				ईएमआरएस की संख्या	निधि जारी की गई		
मेघालय				1	990.85		
तमिलनाडु				3	206.65		
त्रिपुरा				2	1483.24		
पश्चिम बंगाल				1	800.00		
2020–21 में कुल प्रतिबद्ध देयता जारी					**3480.74**		
कुल योग 2020–21 में जारी किया गया					**41662.14**		

अध्याय 5

प्रशासन एवं मानव संसाधन

(क) प्रशासनिक उपलब्धियां

एनईएसटीएस कार्यालय की स्थापनाः

22 दिसंबर, 2020 को राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति के कार्यालय का उद्घाटन माननीय जनजातीय कार्य मंत्री ने सचिव (जनजातीय कार्य मंत्रालय), एनईएसटीएस, ईएमआरएस एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों की उपस्थिति में जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग में किया गया।

चित्रः 5.1ः एनईएसटीएस ऑफिस के उद्घाटन की फोटो

- जैम के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए जैम पोर्टल पर पंजीकरण।
- एनईएसटीएस के पैन और टैन का पंजीकरण।
- विक्रेताओं को भुगतान करने के लिए एनईएसटीएस और जैम पूल खाता (जीपीए) का बैंक खाता खोलना।
- भुगतान करने के लिए लेखा महानियंत्रक के एनटीआर पोर्टल पर पंजीकरण।
- एनआईसी, जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से ई–ऑफिस का कार्यान्वयन।
- उचित रिकॉर्ड रखने के लिए प्रणाली का विकास।

(ख) मानव संसाधन प्रयास

एनईएसटीएस के पदों को भरना

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने एनईएसटीएस के लिए 28 पदों को मंजूरी दी थी जिसमें 3 पद अर्थात आयुक्त (संयुक्त सचिव स्तर, एल–14) का एक पद, अपर आयुक्त (निदेशक स्तर, एल–13) का एक पद और संयुक्त आयुक्त (उप सचिव स्तर, एल–12) का एक पद केंद्रीय स्टाफिंग योजना के माध्यम से भरा गया था। चार पद अर्थात, संयुक्त आयुक्त का एक पद (उप सचिव स्तर, एल–12), उपायुक्त के दो पद (अवर सचिव स्तर,

एल–11) और सहायक आयुक्त (अनुभाग अधिकारी स्तर, एल–8) का एक पद प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा गया और शेष 3 पद अर्थात निजी सचिव एल–8 का एक पद और कार्यालय अधीक्षक एल–7 के दो पद प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने के लिए प्रास्तविक है।

एनईएसटीएस के कर्मचारियों की स्थिति निम्नानुसार है:

सारणी 5.1: एनईएसटीएस में पदों को भरने का सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरें गए पदों की संख्या	स्थिति
1	आयुक्त	01	01	सीएमडी एनएसटीएफडीसी को अतिरिक्त प्रभार
2	अपर आयुक्त	01	01	प्रतिनियुक्ति पर
3	संयुक्त आयुक्त	02	02	प्रतिनियुक्ति पर
4	उपायुक्त	02	02	प्रतिनियुक्ति पर
5	सहायक आयुक्त	01	01	प्रतिनियुक्ति पर
6	आयुक्त के निजी सचिव	01	-	रिक्त (प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा)
7	कार्यालय अधीक्षक	02	-	रिक्त (प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा)
8	सहायक आयुक्त (प्रशासन और वित्त)	03	-	रिक्त (ईडीसीआईएल के माध्यम से प्रक्रियाधीन है)
9	कार्यालय अधीक्षक (वित्त)	02	-	
10	आशुलिपिक ग्रेड–I	01	-	
11	आशुलिपिक ग्रेड–II	02	-	
12	कार्यालय सहायक	04	-	
13	मल्टी टास्किंग स्टाफ	06	-	
	कुल	**28**	**07**	

ऊपर क्रमांक. 8 से 13 तक उल्लिखित पदों को भरने के लिए ईडीसीआईएल (एडसिल) को कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

(ग) एनईएसटीएस की प्रमुख उपलब्धियां

1. परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना

निगरानी और मूल्यांकन, मानव संसाधन, वित्त, खरीद, डेटा प्रबंधक, परीक्षा एवं प्रसंस्करण, बिल एवं नकदी और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में संबिदा पर सलाहकारों के साथ एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना की गई है।

2. निर्माण विंग के लिए सेवानिवृत्त इंजीनियरों/तकनीकी व्यक्तियों की नियुक्ति

एनईएसटीएस को देश भर के जनजातीय उप–जिलों में ईएमआरएस/ईएमडीबीएस के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीपीडब्ल्यूडी/केंद्र और राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/राज्य सरकार को सौंपे गए निर्माण कार्यों के प्रभावी पर्यवेक्षण और अनुश्रवण के लिए केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/स्वायत्त निकायों से सेवानिवृत्त इंजीनियरों को शामिल करके एक समर्पित निर्माण विंग की स्थापना की गई है।

3. बाह्य स्रोत सेवाएं

कार्यालय के सुचारू रूप से चलाने के लिए, एनईएसटीएस ने जैम के माध्यम से सहायक स्टाफ अर्थात मल्टीटास्किंग स्टाफ, डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी सहायक और सुरक्षा गार्ड की सेवाओं को आउटसोर्स किया है।

4. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर की ईएमआरएस समितियों की स्थापना

यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास किए गए है कि प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जिनके पास ईएमआरएस है, ईएमआरएस के लिए पात्र हैं, समितियों के पंजीकरण अधिनियम के तहत विधिवत पंजीकृत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर की ईएमआरएस समितियों की स्थापना करें। तदनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय ईएमआरएस समितियों की स्थापना 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 27 में की गई है।

5. राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

राज्यों को ईएमआरएस योजना में शामिल करने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ईएमआरएस समितियां और एनईएसटीएस के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। समझौता ज्ञापन मूल रूप से ईएमआरएस के पुर्नोत्थान कार्यक्रम को लागू करने में एनईएसटीएस और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ईएमआरएस समितियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की रूपरेखा तैयार करता है। 23 राज्यों ने एनईएसटीएस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्यवार ब्यौरे अनुलग्नक–1 में उपलब्ध हैं।

चित्र 5.2: केरल राज्य और एनईएसटीएस के बीच एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम की झलक

6. जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) का गठन

जिले में संचालित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस), एकलव्य मॉडल दिवस बोर्डिंग स्कूलों (ईएमडीबीएस) और खेल उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के कामकाज के अनुश्रवण के लिए, स्थानीय शिक्षाविदों, जिले के आदिवासी प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया।

7. ईएमआरएस में छात्रों के लिए गणवेश डिजाइन करना

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी), नई दिल्ली को ईएमआरएस और ईएमडीबीएस के छात्रों की गणवेश डिजाइन का कार्य सौंपा गया था। राज्य सरकारों और राज्य ईएमआरएस समितियों को अनुमोदित डिजाइन और विशिष्टताओं को अपनाने के लिए निर्देशित किया गया है।

चित्र 5.3: ईएमआरएस लोगो और यूनिफार्म डिजाइन

8. गणवेश के खादी कपडें की खरीद के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

खादी को मुख्य रूप सें आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में अपनाने के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान को बढ़ावा देते हुए राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) के माध्यम से श्री अर्जुन मुंडा, जनजातीय कार्य मंत्री और केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (एमएसएमई) श्री नितिन गडकरी, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री, श्रीमती रेणुका सिंह सरुता, एमएसएमई राज्य मंत्री, श्री प्रताप सी सारंगी की उपस्थिति में खादी कपड़े की खरीद के लिए अध्यक्ष, केवीआईसी श्री वीके सक्सेना और सचिव, एमओटीए श्री दीपक खांडेकर ने खादी ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया।

चित्र 5.4: केवीआईसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कार्यक्रम

9. ईएमआरएस और ईएमडीबीएस का स्वीकृत कार्य

देश में कुल मिलाकर 588 ईएमआरएस स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 353 स्कूल संचालित हैं।

10. परिचालित मॉडल भर्ती नियम के अनुसार शैक्षणिक और गैर–शैक्षणिक संवर्गों की भर्ती

ईएमआरएस में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की प्रतिबद्धता के साथ एनईएसटीएस, गुणवत्ता वाले मानव संसाधन के साथ शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से एक विशेष अभियान चला रहा है।

ईएमआरएस शैक्षणिक संवर्ग चयन परीक्षा–2021 (ईटीएसएसई–2021) के 31 मार्च 2021 को 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में कुल 3400 रिक्तियों के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।

राज्य आरक्षण रोस्टर के अनुसार विस्तृत राज्य–वार रिक्तियां अनुलग्नक–2 में हैं।

ईएमआरएस के लिए शैक्षणिक संवर्ग (प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, पीजीटी और टीजीटी) के लिए राज्य–वार रिक्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:

सारणी 5.2: राज्य–वार रिक्तियों का सारांश

राज्य	प्रधानाचार्य	उप–प्रधानाचार्य	स्नातकोत्तर शिक्षक	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक	कुल
आंध्र प्रदेश	14	6	0	97	117
छत्तीसगढ	37	19	135	323	514
गुजरात	17	2	24	118	161
हिमाचल प्रदेश	1	0	6	1	8
झारखंड	8	8	132	60	208
जम्मू और कश्मीर	2	0	0	12	14
मध्य प्रदेश	32	32	625	590	1279
महाराष्ट्र	16	8	28	164	216
मणिपुर	0	2	8	30	40
मिजोरम	0	3	2	5	10
ओडिशा	15	11	12	106	144
राजस्थान	16	11	102	187	316
सिक्किम	2	2	17	23	44
तेलंगाना	11	6	77	168	262
त्रिपुरा	1	3	36	18	58
उत्तराखंड	1	1	3	4	9
कुल	**173**	**114**	**1207**	**1906**	**3400**

11. शासी निकाय की बैठक

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 29 अक्टूबर, 2020 और 10 मार्च, 2021 को शासी निकाय की बैठकें आयोजित की गईं।

अध्याय 6

वित्त

वित्तीय वर्ष 2020–21 की वित्तीय स्थिति का सारांश इस प्रकार हैः

(रूपये में आंकड़े)

जीआईए शीर्ष	प्रारंभिक शेष 01.04.2020	प्राप्त निधि	भुगतान	31.03.2021 को शेष राशि
सीसीए	14,69,00,000	498,02,00,000	416,66,37,646	96,04,62,354
जीआईए जनरल	1,25,50,000	700,95,88,000	519,18,24,244	183,03,13,756
वेतन	25,00,000	1,00,00,000	42,88,217	82,11,783
कुल	**16,19,50,000**	**1199,97,88,000**	**936,27,50,107**	**279,89,87,893**

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1

अनुलग्नक – 1 : एनईएसटीएस और राज्य ईएमआरएस के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

क्र. सं.	राज्य का नाम	सोसायटी का नाम	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
1	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल सोसाइटी (गुरुकुलम) (एपीटीडब्ल्यूआरईआईएस)	हां
2	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सोसायटी (एपीईएमआरएसएस)	हां
3	असम	असम राज्य स्तरीय ईएमआरएस सोसायटी	नहीं
4	बिहार	अभी तक गठित नहीं	नहीं
5	छत्तीसगढ	छत्तीसगढ़ आदिवासी कल्याण आवास एवं आश्रम शैक्षिक संस्थान समिति	नहीं
6	दादरा और हवेली और दमन और दीव	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव यूटी– की ईएमआरएस सोसायटी	हां
7	गुजरात	गुजरात स्टेट ट्राइबल एजुकेशन सोसायटी	हां
8	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय प्रबंधन (एचपीईएमआरएसएम) सोसायटी	हां
9	जम्मू और कश्मीर	जम्मू और कश्मीर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) सोसायटी	हां
10	झारखंड	झारखंड आश्रम और एकलव्य विद्यालय शिक्षा समिति	हां
11	कर्नाटक	कर्नाटक आवासीय शैक्षणिक संस्थान सोसायटी (केआरआईईएस)	हां
12	केरल	केरल राज्य एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सोसायटी (केएसईएमआरएसएस)	हां
13	लद्दाख	ईएमआरएस सोसायटी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	हां
14	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश स्पेशल एंड रेजिडेंशियल एकेडमिक सोसायटी (एमपीएसएआरएएस)	हां
15	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र ट्राइबल पब्लिक–स्कूल सोसायटी	हां
16	मणिपुर	मणिपुर सोसायटी भार ट्राइवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन	हां
17	मेघालय	मेघालय आवासीय विद्यालय सोसायटी (एमईआरएसएस)	हां
18	मिजोरम	मिजोरम एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सोसायटी	हां
19	नगालैंड	नागालैंड एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय प्रबंधन सोसायटी (एनईएमआरएसएमएस)	हां
20	ओडिशा	ओडिशा मॉडल ट्राइबल एजुकेशन सोसाइटी	हां
21	राजस्थान	राजस्थान राज्य एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सोसायटी	हां
22	सिक्किम	ईएमआरएस सोसायटी ऑफ सिक्किम	हां

क्र. सं.	राज्य का नाम	सोसायटी का नाम	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
23	तमिलनाडु*	तमिलनाडु ट्राइबल वेलफेयर रेजिडेंशियल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी	नहीं
24	तेलंगाना	तेलंगाना राज्य एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सोसायटी (टीएसईएस)	हां
25	त्रिपुरा	त्रिपुरा ट्राइबल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी	हां
26	उतार प्रदेश	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति शैक्षिक एवं आर्थिक विकास समिति	हां
27	उत्तराखंड	एकलव्य आवासीय विद्यालय संगठन समिति देहरादून	हां
28	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगा आदिवासी कल्याण – ओ–शिक्षा परिषद	नहीं

अनुलग्नक 2

आंध्र प्रदेश पद / श्रेणी–वार रिक्तियां

क्र. सं.	पद का नाम और विषय		खाली पद	श्रेणी–वार रिक्त पद							महिलाओं के लिए आरक्षण (कॉलम घ में कुल रिक्ति ब्रेकअप में से)					
				यूआर	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	पूर्व सेवा	पीएचवीएच	यूआर	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	पीएचवीएच
क	ख		ग	घ							ङ					
1	प्रधानाचार्य		14	6	2	1	3	0	1	1	2	1	1	2	0	1
2	उप–प्रधानाचार्य		6	3	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1
3	स्नातकोत्तर शिक्षक															
	I	अंग्रेज़ी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II	हिन्दी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III	भौतिक विज्ञान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV	रसायन विज्ञान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V	गणित	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VI	अर्थशास्त्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VII	जीव विज्ञान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VIII	इतिहास	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IX	भूगोल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	X	वाणिज्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	XI	आईटी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	प्रशिक्षत स्नातक शिक्षक															
	I	अंग्रेज़ी	20	8	3	1	6	0	1	1	3	1	1	4	0	1
	II	हिन्दी	16	7	3	1	3	0	1	1	2	1	1	2	0	1
	III	गणित	21	9	3	1	6	0	1	1	3	1	1	4	0	1
	IV	विज्ञान	20	8	3	1	6	0	1	1	3	1	1	4	0	1
	V	सामाजिक अध्ययन	20	8	3	1	6	0	1	1	3	1	1	4	0	1
	कुल		**117**	**49**	**18**	**6**	**31**	**0**	**6**	**7**	**17**	**7**	**6**	**21**	**0**	**7**

छत्तीसगढ़ पद / श्रेणी–वार रिक्तियां

क्र. सं.	पद का नाम और विषय		खाली पद	श्रेणी–वार रिक्त पद							महिलाओं के लिए आरक्षण (कॉलम घ में कुल रिक्ति ब्रेकअप में से)					
				यूआर	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	पूर्व सैनिक	दिव्यांग	यूआर	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	पीएचवीएच
क	ख		ग	घ							ङ					
1	प्रधानाचार्य		37	9	4	12	5	0	4	3	3	2	4	2	0	1
2	उप–प्रधानाचार्य		19	5	2	6	3	0	2	1	2	1	2	1	0	1
3	स्नातकोत्तर शिक्षक															
	I	अंग्रेज़ी	19	5	2	6	3	0	2	1	2	1	2	1	0	0
	II	हिन्दी	19	5	2	6	3	0	2	1	2	1	2	1	0	0
	III	भौतिक विज्ञान	21	5	3	7	3	0	2	1	2	1	2	1	0	0
	IV	रसायन विज्ञान	16	4	2	5	2	0	2	1	1	1	2	1	0	0
	V	गणित	16	4	2	5	2	0	2	1	1	1	2	1	0	0
	VI	अर्थशास्त्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VII	जीव विज्ञान	16	4	2	5	2	0	2	1	1	1	2	1	0	0
	VIII	इतिहास	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IX	भूगोल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	X	वाणिज्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	XI	आईटी	28	7	3	9	4	0	3	2	2	1	3	2	0	0
4	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा															
	I	अंग्रेज़ी	67	17	8	21	9	0	7	5	6	3	7	4	0	1
	II	हिन्दी	63	16	8	20	9	0	6	4	6	3	7	3	0	1
	III	गणित	63	16	8	20	9	0	6	4	6	3	7	3	0	1
	IV	विज्ञान	63	16	8	20	9	0	6	4	6	3	7	3	0	1
	V	सामाजिक अध्ययन	67	17	8	21	9	0	7	5	6	3	7	4	0	1
		कुल	514	130	62	163	72	0	53	34	46	25	56	28	0	7

गुजरात पद / श्रेणी–वार रिक्तियां

क्र. सं.	पद का नाम और विषय		खाली पद	श्रेणी–वार रिक्त पद					महिलाओं के लिए आरक्षण (कॉलम घ में कुल रिक्ति ब्रेकअप में से)				
				यूआर	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	यूआर	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस
क	ख		ग	घ							ङ		
1	प्रधानाचार्य		17	8	1	2	4	2	2	0	1	1	1
2	उप–प्रधानाचार्य		2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3	स्नातकोत्तर शिक्षक												
	I	अंग्रेज़ी	4	2	0	1	1	0	1	0	1	0	0
	II	हिन्दी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III	भौतिक विज्ञान	4	2	0	1	1	0	1	0	0	1	0
	IV	रसायन विज्ञान	4	2	0	1	1	0	1	0	1	0	0
	V	गणित	4	2	0	1	1	0	1	0	0	1	0
	VI	अर्थशास्त्र	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	VII	जीव विज्ञान	4	2	0	1	1	0	1	0	1	0	0
	VIII	इतिहास	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IX	भूगोल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	X	वाणिज्य	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	XI	आईटी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा												
	I	अंग्रेज़ी	24	9	2	4	7	2	3	1	1	2	1
	II	हिन्दी	23	9	2	4	6	2	3	0	1	2	1
	III	गणित	24	9	2	4	7	2	3	1	1	2	1
	IV	विज्ञान	24	9	2	4	7	2	3	1	1	2	1
	V	सामाजिक अध्ययन	23	9	2	4	6	2	3	0	1	2	1
		कुल	161	66	11	27	45	12	22	3	9	14	6

हिमाचल प्रदेश पद / श्रेणी–वार रिक्तियां

क्र. सं.	पद का नाम और विषय		खाली पद	श्रेणी–वार रिक्त पद				
				यूआर	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस
क	ख		ग	घ				
1	प्रधानाचार्य		1	1	0	0	0	0
2	उप–प्रधानाचार्य		0	0	0	0	0	0
3	स्नातकोत्तर शिक्षक							
	I	अंग्रेज़ी	0	0	0	0	0	0
	II	हिन्दी	1	1	0	0	0	0
	III	भौतिक विज्ञान	0	0	0	0	0	0
	IV	रसायन विज्ञान	0	0	0	0	0	0
	V	गणित	1	1	0	0	0	0
	VI	अर्थशास्त्र	1	1	0	0	0	0
	VII	जीव विज्ञान	1	1	0	0	0	0
	VIII	इतिहास	1	1	0	0	0	0
	IX	भूगोल	0	0	0	0	0	0
	X	वाणिज्य	0	0	0	0	0	0
	XI	आईटी	1	1	0	0	0	0
4	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा							
	I	अंग्रेज़ी	0	0	0	0	0	0
	II	हिन्दी	0	0	0	0	0	0
	III	गणित	1	1	0	0	0	0
	IV	विज्ञान	0	0	0	0	0	0
	V	सामाजिक अध्ययन	0	0	0	0	0	0
		कुल	**8**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**

झारखण्ड पद / श्रेणी–वार रिक्तियां

क्र. सं.	पद का नाम और विषय		खाली पद	श्रेणी–वार रिक्त पद					
				यूआर	एससी	एसटी	अत्यधिक पिछड़ा वर्ग	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस
क	**ख**		**ग**	**घ**					
1	प्रधानाचार्य		8	3	1	2	1	0	1
2	उप–प्रधानाचार्य		8	3	1	2	1	0	1
3	स्नातकोत्तर शिक्षक								
	I	अंग्रेज़ी	12	5	1	3	1	1	1
	II	हिन्दी	12	5	1	3	1	1	1
	III	भौतिक विज्ञान	12	5	1	3	1	1	1
	IV	रसायन विज्ञान	12	5	1	3	1	1	1
	V	गणित	12	5	1	3	1	1	1
	VI	अर्थशास्त्र	12	5	1	3	1	1	1
	VII	जीव विज्ञान	12	5	1	3	1	1	1
	VIII	इतिहास	12	5	1	3	1	1	1
	IX	भूगोल	12	5	1	3	1	1	1
	X	वाणिज्य	12	5	1	3	1	1	1
	XI	आईटी	12	5	1	3	1	1	1
4	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा								
	I	अंग्रेज़ी	12	5	1	3	1	1	1
	II	हिन्दी	12	5	1	3	1	1	1
	III	गणित	12	5	1	3	1	1	1
	IV	विज्ञान	12	5	1	3	1	1	1
	V	सामाजिक अध्ययन	12	5	1	3	1	1	1
		कुल	**208**	**86**	**18**	**52**	**18**	**16**	**18**

जम्मू और कश्मीर पद / श्रेणी–वार रिक्तियां

क्र. सं.	पद का नाम और विषय		खाली पद	श्रेणी–वार रिक्त पद					
				यूआर	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	आरबीए
क	ख		ग	घ					
1	प्रधानाचार्य		2	1	0	0	0	0	1
2	उप–प्रधानाचार्य		0	0	0	0	0	0	0
3	स्नातकोत्तर शिक्षक								
	I	अंग्रेज़ी	0	0	0	0	0	0	0
	II	हिन्दी	0	0	0	0	0	0	0
	III	भौतिक विज्ञान	0	0	0	0	0	0	0
	IV	रसायन विज्ञान	0	0	0	0	0	0	0
	V	गणित	0	0	0	0	0	0	0
	VI	अर्थशास्त्र	0	0	0	0	0	0	0
	VII	जीव विज्ञान	0	0	0	0	0	0	0
	VIII	इतिहास	0	0	0	0	0	0	0
	IX	भूगोल	0	0	0	0	0	0	0
	X	वाणिज्य	0	0	0	0	0	0	0
	XI	आईटी	0	0	0	0	0	0	0
4	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा								
	I	अंग्रेज़ी	4	2	1	0	0	0	1
	II	हिन्दी	4	2	1	0	0	0	1
	III	गणित	4	2	1	0	0	0	1
	IV	विज्ञान	0	0	0	0	0	0	0
	V	सामाजिक अध्ययन	0	0	0	0	0	0	0
		कुल	**14**	**7**	**3**	**0**	**0**	**0**	**4**

मध्य प्रदेश पद / श्रेणी–वार रिक्तियां

क्र. सं.	पद का नाम और विषय		खाली पद	श्रेणी–वार रिक्त पद					खुली रिक्तियां					रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों की संख्या					मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या, 6 प्रतिशत				भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों की संख्या 10 प्रतिशत केवल पुरुष				
				यूआर	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	यूआर	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	यूआर	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	वीएच	एचएच	ओएच	एमडी	यूआर	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस
क	ख		ग	घ																							
1	प्रधानाचार्य		32	9	5	6	9	3	6	3	4	6	2	3	2	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	उप–प्रधानाचार्य		32	9	5	6	9	3	6	3	4	6	2	3	2	2	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
3	स्नातकोत्तर शिक्षक																										
	I	अंग्रेज़ी	58	17	9	11	16	5	9	5	6	8	2	8	4	5	8	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	II	हिन्दी	51	14	8	11	13	5	7	4	6	6	3	7	4	5	7	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	III	भौतिक विज्ञान	56	16	9	12	14	5	8	5	6	7	2	8	4	6	7	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	IV	रसायन विज्ञान	58	16	9	12	16	5	8	4	6	8	2	8	5	6	8	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	V	गणित	56	16	8	12	15	5	8	4	6	8	2	8	4	6	7	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	VI	अर्थशास्त्र	59	17	9	12	16	5	8	4	6	8	3	9	5	6	8	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	VII	जीव विज्ञान	55	15	9	12	14	5	7	5	6	7	2	8	4	6	7	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	VIII	इतिहास	59	17	9	12	16	5	9	4	6	8	3	8	5	6	8	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	IX	भूगोल	59	17	9	12	16	5	8	4	6	8	3	9	5	6	8	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	X	वाणिज्य	55	15	8	12	15	5	7	4	6	7	2	8	4	6	8	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	XI	आईटी	59	17	9	12	16	5	9	4	6	8	3	8	5	6	8	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0
4	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक																										
	I	अंग्रेज़ी	121	33	19	25	32	12	16	10	13	16	6	17	9	12	16	6	2	2	2	1	3	2	3	3	1
	II	हिन्दी	118	33	19	24	31	11	16	10	12	15	5	17	9	12	16	6	2	2	2	1	3	2	2	3	1
	III	गणित	115	31	19	24	30	11	16	9	12	15	6	15	10	12	15	5	2	2	1	2	3	2	2	3	1
	IV	विज्ञान	118	33	19	24	31	11	17	9	12	16	5	16	10	12	15	6	2	2	2	1	3	2	2	3	1
	V	सामाजिक अध्ययन	118	33	19	24	31	11	17	9	12	16	5	16	10	12	15	6	2	2	2	1	3	2	2	3	1
		कुल	**1279**	**358**	**201**	**263**	**340**	**117**	**182**	**100**	**135**	**173**	**58**	**176**	**101**	**128**	**167**	**59**	**22**	**16**	**21**	**10**	**15**	**10**	**11**	**15**	**5**

महाराष्ट्र पद / श्रेणी–वार रिक्तियां

क्र. सं.	पद का नाम और विषय		खाली पद	श्रेणी–वार रिक्त पद											महिलाओं के लिए आरक्षण (कॉलम घ में कुल रिक्त पद में से)
				यूआर	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएसक	एसईबीसी	वीजे (क)	एन.टी. (ख)	एन.टी. (ग)	एन.टी. (घ)	विशेष पिछड़ा वर्ग	महाराष्ट्र राज्य में इसका पालन किया जाता है
क	**ख**		**ग**	**घ**											**ङ**
1	प्रधानाचार्य		16	3	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	5
2	उप–प्रधानाचार्य		8	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	2
3	स्नातकोत्तर शिक्षक														
	I	अंग्रेज़ी	5	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	
	II	हिन्दी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	III	भौतिक विज्ञान	5	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	
	IV	रसायन विज्ञान	7	0	1	0	2	1	2	0	0	0	1	0	
	V	गणित	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
	VI	अर्थशास्त्र	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	VII	जीव विज्ञान	7	0	1	0	2	2	2	0	0	0	0	0	
	VIII	इतिहास	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	IX	भूगोल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	X	वाणिज्य	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	XI	आईटी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		पीजीटी के आरक्षण													11
4	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक														
	I	अंग्रेज़ी	41	7	5	3	8	5	7	2	1	1	1	1	
	II	हिन्दी	6	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
	III	गणित	56	10	7	4	10	7	9	2	2	2	1	2	
	IV	विज्ञान	28	5	3	2	6	4	5	1	1	1	0	0	
	V	सामाजिक अध्ययन	33	6	4	2	6	4	6	1	1	1	1	1	
		टीजीटी के लिए आरक्षण												62	
		कुल	**216**	**34**	**27**	**14**	**41**	**30**	**38**	**10**	**6**	**6**	**5**	**5**	**80**

मणिपुर पद / श्रेणी–वार रिक्तियां

क्र. सं.	पद का नाम और विषय		खाली पद	श्रेणी–वार रिक्त पद				
				यूआर	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस
क	ख		ग	घ				
1	प्रधानाचार्य		0	0	0	0	0	0
2	उप–प्रधानाचार्य		2	1	0	1	0	0
3	स्नातकोत्तर शिक्षक							
	I	अंग्रेज़ी	0	0	0	0	0	0
	II	हिन्दी	0	0	0	0	0	0
	III	भौतिक विज्ञान	1	1	0	0	0	0
	IV	रसायन विज्ञान	0	0	0	0	0	0
	V	गणित	0	0	0	0	0	0
	VI	अर्थशास्त्र	2	1	0	1	0	0
	VII	जीव विज्ञान	1	1	0	0	0	0
	VIII	इतिहास	2	1	0	1	0	0
	IX	भूगोल	1	1	0	0	0	0
	X	वाणिज्य	1	1	0	0	0	0
	XI	आईटी	0	0	0	0	0	0
4	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक							
	I	अंग्रेज़ी	**6**	**3**	**0**	**2**	**1**	**0**
	II	हिन्दी	6	3	0	2	1	0
	III	गणित	6	3	0	2	1	0
	IV	विज्ञान	6	3	0	2	1	0
	V	सामाजिक अध्ययन	6	3	0	2	1	0
		कुल	**40**	**22**	**0**	**13**	**5**	**0**

मिजोरम पद / श्रेणी–वार रिक्तियां

क्र. सं.	पद का नाम और विषय		खाली पद	श्रेणी–वार रिक्त पद				
				यूआर	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस
क	ख		ग	घ				
1	प्रधानाचार्य		0	0	0	0	0	0
2	उप–प्रधानाचार्य		3	0	0	3	0	0
3	स्नातकोत्तर शिक्षक							
	I	अंग्रेज़ी	0	0	0	0	0	0
	II	हिन्दी	0	0	0	0	0	0
	III	भौतिक विज्ञान	1	0	0	1	0	0
	IV	रसायन विज्ञान	0	0	0	0	0	0
	V	गणित	1	0	0	1	0	0
	VI	अर्थशास्त्र	0	0	0	0	0	0
	VII	जीव विज्ञान	0	0	0	0	0	0
	VIII	इतिहास	0	0	0	0	0	0
	IX	भूगोल	0	0	0	0	0	0
	X	वाणिज्य	0	0	0	0	0	0
	XI	आईटी	0	0	0	0	0	0
4	**प्रशिक्षिक स्नातक शिक्षक**							
	I	अंग्रेज़ी	1	0	0	1	0	0
	II	हिन्दी	4	0	0	4	0	0
	III	गणित	0	0	0	0	0	0
	IV	विज्ञान	0	0	0	0	0	0
	V	सामाजिक अध्ययन	0	0	0	0	0	0
		कुल	**10**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**

ओडिया पद / श्रेणी–वार रिक्तियां

क्र. सं.	पद का नाम और विषय		खाली पद	श्रेणी–वार रिक्त पद					महिलाओं के लिए आरक्षण (कॉलम घ में कुल रिक्ति ब्रेकअप में से)				
				यूआर	एससी	एसटी	ओबीसी / एसबीसी	ईडब्ल्यूएस	यूआर	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस
क	ख		ग	घ					च				
1	प्रधानाचार्य		15	7	3	3	2	0	2	1	1	1	0
2	उप–प्रधानाचार्य		11	6	2	2	1	0	2	1	1	0	0
3	स्नातकोत्तर शिक्षक												
	I	अंग्रेज़ी	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	II	हिन्दी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III	भौतिक विज्ञान	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0
	IV	रसायन विज्ञान	4	0	1	3	0	0	0	0	1	0	0
	V	गणित	3	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0
	VI	अर्थशास्त्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VII	जीव विज्ञान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VIII	इतिहास	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IX	भूगोल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	X	वाणिज्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	XI	आईटी	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0
4	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक												
	I	अंग्रेज़ी	40	20	9	11	0	0	5	3	4	0	0
	II	हिन्दी	6	0	1	5	0	0	0	1	3	0	0
	III	गणित	45	26	10	9	0	0	9	3	3	0	0
	IV	विज्ञान	6	0	1	5	0	0	0	0	2	0	0
	V	सामाजिक अध्ययन	9	1	1	7	0	0	0	1	3	0	0
		कुल	144	**60**	**28**	**53**	**3**	**0**	**18**	**10**	**21**	**1**	**0**

राजस्थान पद / श्रेणी–वार रिक्तियां

क्र. सं.	पद का नाम और विषय		खाली पद	श्रेणी–वार रिक्त पद						महिलाओं के लिए आरक्षण (कॉलम घ में कुल रिक्ति ब्रेकअप में से)					
				यूआर	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएप	एमबीसी	यूआर	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएप	एमबीसी
क	ख		ग	घ						ङ					
1	प्रधानाचार्य		16	6	3	2	3	1	1	2	1	1	1	0	0
2	उप–प्रधानाचार्य		11	4	2	1	2	1	1	1	1	0	1	0	0
3	पोस्ट ग्रेजुएट टीचर														
	I	अंग्रेज़ी	16	6	3	2	3	1	1	2	1	1	1	0	0
	II	हिन्दी	16	6	3	2	3	1	1	2	1	1	1	0	0
	III	भौतिक विज्ञान	16	6	3	2	3	1	1	2	1	1	1	0	0
	IV	रसायन विज्ञान	16	6	3	2	3	1	1	2	1	1	1	0	0
	V	गणित	6	2	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	VI	अर्थशास्त्र	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VII	जीव विज्ञान	15	6	2	2	3	1	1	1	1	1	1	0	0
	VIII	इतिहास	11	4	2	1	2	1	1	1	1	0	1	0	0
	IX	भूगोल	5	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	X	वाणिज्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	XI	आईटी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**प्रशिक्षत ग्रेजुएट टीचर**														
	I	अंग्रेज़ी	37	13	6	4	8	4	2	4	2	1	2	1	1
	II	हिन्दी	31	11	5	4	6	3	2	4	2	1	2	1	0
	III	गणित	40	15	6	5	8	4	2	5	2	1	2	1	1
	IV	विज्ञान	42	15	7	5	9	4	2	5	2	1	3	1	1
	V	सामाजिक अध्ययन	37	13	6	4	8	4	2	4	2	1	3	1	1
		कुल	**316**	**116**	**53**	**38**	**63**	**28**	**18**	**37**	**18**	**11**	**20**	**5**	**4**

सिक्किम पद / श्रेणी–वार रिक्तियां

क्र. सं.	पद का नाम और विषय		खाली पद	श्रेणी–वार रिक्त पद				
				यूआर	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस
क	ख		ग	घ				
1	प्रधानाचार्य		2	1	0	1	0	0
2	उप–प्रधानाचार्य		2	1	0	1	0	0
3	स्नातकोत्तर शिक्षक							
	I	अंग्रेज़ी	2	1	0	1	0	0
	II	हिन्दी	0	0	0	0	0	0
	III	भौतिक विज्ञान	2	1	0	1	0	0

क्र. सं.	पद का नाम और विषय		खाली पद	श्रेणी–वार रिक्त पद				
				यूआर	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस
क	ख		ग	घ				
	IV	रसायन विज्ञान	2	1	0	1	0	0
	V	गणित	2	1	0	1	0	0
	VI	अर्थशास्त्र	3	1	0	1	1	0
	VII	जीव विज्ञान	2	1	0	1	0	0
	VIII	इतिहास	2	1	0	1	0	0
	IX	भूगोल	2	1	0	1	0	0
	X	वाणिज्य	0	0	0	0	0	0
	XI	आईटी	0	0	0	0	0	0
4	प्रशिक्षत स्नातक शिक्षक							
	I	अंग्रेज़ी	2	1	0	1	0	0
	II	हिन्दी	4	1	0	1	2	0
	III	गणित	6	1	1	2	2	0
	IV	विज्ञान	6	1	1	2	2	0
	V	सामाजिक अध्ययन	5	2	0	1	2	0
		कुल	44	**16**	**2**	**17**	**9**	**0**

तेलंगाना पोस्ट / श्रेणी–वार रिक्तियां

क्र. सं.	पद का नाम और विषय		खाली पद	श्रेणी–वार रिक्त पद							महिलाओं के लिए आरक्षण (कॉलम घ में कुल रिक्ति ब्रेकअप में से)					
				यूआर	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	एचएच	वीएच	यूआर	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	वीएच
क	ख		ग	घ							ङ					
1	प्रधानाचार्य		11	5	2	1	2	0	0	1	1	1	1	2	0	1
2	उप–प्रधानाचार्य		6	3	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1
3	स्नातकोत्तर शिक्षक															
	I	अंग्रेज़ी	7	3	2	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1
	II	हिन्दी	7	3	2	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1
	III	भौतिक विज्ञान	7	3	2	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1
	IV	रसायन विज्ञान	7	3	2	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1
	V	गणित	7	3	2	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1
	VI	अर्थशास्त्र	7	3	2	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1
	VII	जीव विज्ञान	7	3	2	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1
	VIII	इतिहास	7	3	2	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1
	IX	भूगोल	7	3	2	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1
	X	वाणिज्य	7	3	2	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1
	XI	आईटी	7	3	2	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1
4	प्रशिक्षत स्नातक शिक्षक															
	I	अंग्रेज़ी	34	16	5	3	8	0	1	1	6	2	1	4	0	1
	II	हिन्दी	32	15	5	2	8	0	1	1	5	2	1	4	0	1

क्र. सं.	पद का नाम और विषय		खाली पद	श्रेणी–वार रिक्त पद							महिलाओं के लिए आरक्षण (कॉलम घ में कुल रिक्ति ब्रेकअप में से)					
				यूआर	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	एचएच	वीएच	यूआर	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	वीएच
क	ख		ग	घ							ङ					
	III	गणित	34	16	5	3	8	0	1	1	6	2	1	4	0	1
	IV	विज्ञान	34	16	5	3	8	0	1	1	6	2	1	4	0	1
	V	सामाजिक अध्ययन	34	16	5	3	8	0	1	1	6	2	1	4	0	1
		कुल	**262**	**120**	**50**	**15**	**54**	**0**	**5**	**18**	**42**	**23**	**6**	**34**	**0**	**18**

त्रिपुरा पद / श्रेणी–वार रिक्तियां

क्र. सं.	पद का नाम और विषय		खाली पद	श्रेणी–वार रिक्त पद				
				यूआर	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस
क	ख		ग	घ				
1	प्रधानाचार्य		1	0	0	1	0	0
2	उप–प्रधानाचार्य		3	2	0	1	0	0
3	स्नातकोत्तर शिक्षक							
	I	अंग्रेज़ी	3	1	1	1	0	0
	II	हिन्दी	1	0	1	0	0	0
	III	भौतिक विज्ञान	3	0	1	2	0	0
	IV	रसायन विज्ञान	3	1	0	2	0	0
	V	गणित	4	2	1	1	0	0
	VI	अर्थशास्त्र	4	1	1	2	0	0
	VII	जीव विज्ञान	3	2	1	0	0	0
	VIII	इतिहास	3	1	0	2	0	0
	IX	भूगोल	2	1	1	0	0	0
	X	वाणिज्य	5	3	0	2	0	0
	XI	आईटी	5	2	1	2	0	0
4	**प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक**							
	I	अंग्रेज़ी	3	1	2	0	0	0
	II	हिन्दी	5	2	2	1	0	0
	III	गणित	5	1	0	4	0	0
	IV	विज्ञान	4	2	0	2	0	0
	V	सामाजिक अध्ययन	1	0	1	0	0	0
		कुल	**58**	**22**	**13**	**23**	**0**	**0**

उत्तराखण्ड पद / श्रेणी–वार रिक्तियां

क्र. सं.	पद का नाम और विषय		खाली पद	श्रेणी–वार रिक्त पद					महिलाओं के लिए आरक्षण (कॉलम घ में कुल रिक्ति ब्रेकअप में से)				
				यूआर	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	यूआर	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस
क	ख		ग	घ					च				
1	प्रधानाचार्य		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	उप–प्रधानाचार्य		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	स्नातकोत्तर शिक्षक												
	I	अंग्रेज़ी	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	II	हिन्दी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III	भौतिक विज्ञान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV	रसायन विज्ञान	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	V	गणित	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VI	अर्थशास्त्र	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	VII	जीव विज्ञान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VIII	इतिहास	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IX	भूगोल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	X	वाणिज्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	XI	आईटी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**प्रशिक्षत स्नातक शिक्षक**												
	I	अंग्रेज़ी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II	हिन्दी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III	गणित	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV	विज्ञान	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	V	सामाजिक अध्ययन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		कुल	9	**7**	**1**	**0**	**0**	**1**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**

शब्दावली

एआईसीटीई– अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

एआईएम– अटल इनोवेशन मिशन

एओएल– आर्ट ऑफ लिविंग

एटीएल– अटल टिंकरिंग लैब

सीबीएसई– केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

सीसीए–पूंजीगत संपत्ति का निर्माण

सीसीईए– आर्थिक मामले संबंधी मंत्रीमंडल समिति

सीसीएल – सृजनात्मक शिक्षण के लिए केंद्र

सीएमडी – अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

सीओई– उत्कृष्टता केंद्र

सीपीडब्ल्यूडी– केंद्रीय लोक निर्माण विभाग

डीएलसी– जिला स्तरीय समिति

दीक्षा– ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर

डीपीआर– विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

एडसिल– एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड

ईएमआरएस – एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल

ईएमडीबीएस– एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल

जेम– गवर्नमेंट ई– मार्केटप्लेस

जीआईए – सहायता अनुदान

जीओआई – भारत सरकार

जीपीए– जेम पूल खाता

आईएपीटी– इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स

आईआईएम– भारतीय प्रबंधन संस्थान

आईआईटी–भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

जेएनवाई– जवाहर नवोदय विद्यालय

केवीएस– केंद्रीय विद्यालय

केवीआईसी– खादी ग्रामोद्योग आयोग

एलडब्ल्यूई – वामपंथी उग्रवाद

एनएटी– राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार

एनसीईआरटी– राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

एनसीएसएल– नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप

एनईपी– राष्ट्रीय शिक्षा नीति
एसटी– अनुसूचित जनजाति
एमआईएस–प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमएलपी– मास्टर लेआउट प्लान
एमओई– शिक्षा मंत्रालय
एमओएसडी एण्ड ई – कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
एमओटीए – जनजातीय कार्य मंत्रालय
एमओयू– समझौता ज्ञापन
एनसीसी– राष्ट्रीय कैडेट कोर
एनसीएसएल– नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप
एनआईसी– राष्ट्रीय सूचना केंद्र
एमआईईपीए– राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
निफ्ट–राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
नीति आयोग–नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
एनएसडीसी– राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
एनएसटीएफडीसी– राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम
पीएफएमएस– सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
पीजीटी– स्नातकोत्तर शिक्षक
पीएमकेवीवाई– प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना
पीएमयू– परियोजना निगरानी इकाई
पीएसयू– सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
आरटीई – शिक्षा का अधिकार अधिनियम
आरआर– भर्ती नियम
टीए– जनजातीय मामले
टीजीटी– प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक
यूडीआईएसई– शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली
यूटी– केंद्र शासित प्रदेश

वर्ष 2020–21 के वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय जनजातीय छात्रों के लिए शिक्षा सोसायटी (एनईएसटीएस) के लेखों पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट।

हमने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, शक्तियों और) की धारा 20(1) के तहत जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (एनईएसटी) के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न बैलेंस शीट, आय और व्यय और प्राप्तियां और भुगतान खाते का ऑडिट किया है। सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971।

2. इस अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं के अनुरूप, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखांकन उपचार पर हैं।

   कानून, नियमों और विनियमों (उचितता और नियमितता) और दक्षता–सह–प्रदर्शन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों को अलग से निरीक्षण रिपोर्ट/भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से रिपोर्ट किया जाता है।

3. हमने भारत में आम तौर पर स्वीकृत ऑडिटिंग मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया है।

   इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरणों से मुक्त हैं।

   एक लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की जांच करना शामिल है।

   एक लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की जांच करना शामिल है।

4. **हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:**

   (i) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थेय

   (ii) इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए बैलेंस शीट, आय और व्यय खाते और प्राप्तियां और भुगतान खाते को वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार नहीं किया गया है।

   (iii) हमारी राय में, एनईएसटी द्वारा उचित लेखा पुस्तकों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का रखरखाव किया गया है, जैसा कि ऐसी पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

   (iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क. बैलेंस शीट ए.1 देयताएं

क. 1. 1 पूंजी निधि

क. 1.1.1 एनईएसटी के साथ प्रतिनियुक्ति/विदेशी सेवा पर काम करने वाले कर्मचारियों के संबंध में वर्ष 2020–21 के लिए पेंशन और छुट्टी वेतन अंशदान के बकाया का भुगतान उनके मूल विभाग को एनईएसटीएस द्वारा नहीं किया गया था। मैं कम करता हूं, खातों में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

ख. 1 संपत्तियां

ख. 1.1 अचल संपत्ति रुपये। 78.64 लाख

ख. 1.1.1 एनईएसटी ने रु. का अग्रिम भुगतान किया था। सीपीडब्ल्यूडी को जीवन तारा भवन में कार्यालय स्थान के नवीनीकरण और नवीनीकरण कार्यों के लिए 118.52 लाख। एनईएसटीएस ने सीपीडब्ल्यूडी से अंतिम/समायोजन बिल के अभाव में इसका पूंजीकरण नहीं किया था। यह राशि रु. 118.52 लाख को एनईएसटी द्वारा पूंजीकृत किया जाना चाहिए था क्योंकि अक्टूबर 2020 में कार्यालय की जगह पर सोसायटी द्वारा कब्जा कर लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों को 110.98 लाख रुपये और रुपये के खर्च को कम करके दिखाया गया है। देनदारियों में लेनदारों के तहत डेबिट बैलेंस के मूल्यह्रास और इतनी ही राशि से अधिक विवरण के कारण 7.53 लाख।

बी.1.1.2 नेस्ट ने अपनी महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में खुलासा किया है कि अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास लिखित मूल्य पद्धति के तहत दरों पर और आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित तरीके से प्रदान किया गया है। हालांकि, यह देखा गया था कि मूल्यह्रास एलसीडी और कार्यालय उपकरण से संबंधित परिसंपत्तियों के ब्लॉक के संबंध में आयकर अधिनियम के अनुसार दरों के अनुरूप नहीं दरों पर प्रभारित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप राजस्व व्यय को अधिक बताया गया है और अचल संपत्तियों को रुपये से कम करके दिखाया गया है। 2.91 लाख। सी. आय और व्यय।

ग.1 व्यय

ग. 1.1 मार्च 2021 के महीने के लिए वेतन और मजदूरी 10.34 लाख रु अप्रैल 2021 में का भुगतान किया गया था, लेकिन इसे 31.03.2021 तक वार्षिक खातों में देयता के रूप में नहीं दर्शाया गया था। इसके परिणामस्वरूप व्यय के साथ–साथ वर्तमान देनदारियों को समान राशि से कम किया गया।

घ.1 व्यय

डी.1 जीएफआर, 2017 के नियम 230 (8) के अनुसार किसी भी अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान को जारी सहायता अनुदान या अग्रिम (प्रतिपूर्ति के अलावा) के खिलाफ सभी ब्याज या अन्य कमाई अनिवार्य रूप से भारत की संचित निधि को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद भेज दी जानी चाहिए। हिसाब किताब। इस तरह के अग्रिमों को भविष्य की रिलीज के खिलाफ समायोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। छम्ैैै ने रुपये की ब्याज राशि अर्जित की थी। वर्ष के दौरान 4.31 करोड़। मंत्रालय से प्राप्त सहायता

अनुदान पर सृजित ब्याज की कोई राशि मंत्रालय को प्रेषित नहीं की गई ताकि भारत की संचित निधि में जमा की जा सके। एनईएसटीएस जीएफआर के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहा।

ङ.1 सहायता अनुदान

क. 2020–21 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदान और उसका उपयोग नीचे दिया गया है:

बी. 2020–21 के दौरान जनजातीय मामलों के मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदान 1199.98 करोड़ रुपये है और पिछले वर्ष की शेष राशि 16.19 करोड़ रुपये है। कुल उपलब्ध निधि 1216.17 करोड़ रुपये थी और नेस्ट्स ने 936.27 करोड़ रुपये का उपयोग किया और 279.90 करोड़ रुपये की अव्ययित राशि छोड़ दी।

ग. वर्ष 2020–21 के लिए एनईएसटीएस द्वारा प्रस्तुत स्वीकृति पत्रों के अनुसार, मंत्रालय ने सामान्य सहायता अनुदान के लिए रु. 91.27 करोड़ की स्वीकृति संख्या एफ.सं. 11015/01/2020–ईएमआरएस दिनांक 17.02.2021 और रुपये की राशि जारी की थी। पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि को समायोजित करने के बाद 89.75 करोड़ रु. 1.51 करोड़ हालांकि, यह देखा गया था कि एनईएसटीएस ने रुपये के अव्ययित शेष को दर्शाया था। उस विशेष शीर्ष के तहत खातों में 1.25 करोड़। इस प्रकार, रुपये का अंतर था । 26.00 लाख की राशि खर्च न किए गए अनुदान की राशि और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा नियमित राशि के बीच।

v. पिछले पैराग्राफ में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि बैलेंस शीट, आय और व्यय खाता और प्राप्तियां और भुगतान खाते इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए खातों की किताबों के साथ समझौते में हैं।

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के लिए और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण लेखांकन नीतियों और खातों पर नोट्स के साथ पढ़ते हैं, और ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण:

क. जैसा कि यह 31 मार्च 2021 तक जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (एनईएसटीएस) के मामलों की स्थिति की बैलेंस शीट से संबंधित है; और

ख. जहां तक उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय और व्यय खाते से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से और उसकी ओर से

लेखा परीक्षा के महानिदेशक
(गृह शिक्षा और कौशल विकास)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16.12.2021

लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक

(डी.ओ. पत्र संख्या एएमजी–III/5–90/एसएआर/एनईएसटीएस/2021–22/354 दिनांक 16.12.2021 देखें)

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

कोई आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग या प्रकोष्ठ नहीं है। एनईएसटीएस की स्थापना के बाद से कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

2. आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता निम्नलिखित कारणों से आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त नहीं था:

i) लेखा नियमावली तैयार नहीं की गई है।

ii) सहायता अनुदान रजिस्टर, सुरक्षा जमा रजिस्टर, अग्रिम रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया था। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए एनईएसटीएस में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है।

3. संपत्ति के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन एनईएसटीएस की स्थापना के बाद से नहीं किया गया था।

4. सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

एनईएसटीएस की स्थापना के बाद से उपभोग्य सामग्रियों का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

5. देय राशि के भुगतान में नियमितता

खातों के अनुसार, जीएसटी पर टीडीएस की राशि रु. 0.88 लाख, रुपये की आय पर टीडीएस। 31.03.2021 तक 10.03 लाख बकाया थे।

एच के जी एवं एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सदस्य
राष्ट्रीय आदिवासी छात्र समिति
जीवन तारा बिल्डिंग, अशोका रोड
नई दिल्ली –110001

हमने आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी ("सोसायटी") के साथ में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2021 को तुलन पत्र और आय और व्यय खाते और प्राप्तियों और भुगतान खाते का विवरण समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है।

हमारे विचार में, 31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार, सोसायटी की वित्तीय स्थिति का सही और उचित दृष्टिकोण को वित्तीय विवरण में प्रस्तुत किया गया है और समाप्ति वर्ष के लिए इसके वित्तीय प्रदर्शन को भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।

मत का आधार

हमने आईसीएआई द्वारा जारी ऑडिटिंग (एसएएस) के मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग के ऑडिट के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार सोसायटी से स्वतंत्र हैं और हमने आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वह हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

प्रबंधन की जिम्मेदारियां और वित्तीय विवरणों के लिए शासन के साथ आरोप लगाए गए

सोसायटी का प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार मामलों की स्थिति, संचालन के परिणाम और सोसायटी के नकदी प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष दृष्टीकोण देते हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टीकोण देता है और भौतिक गलत विवरण से मुक्त है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हों।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन संबंधित विषय के साथ सोसायटी को जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, खुलासा, जैसा कि लागू है, जारी विषय से संबंधित मामले और लेखांकन के आधार पर जारी विषय का उपयोग किया गया है।

301, सत्यामंशन रोड, रणजीत नगर वाणिज्यिक परिसर, नई दिल्ली–1 10008 टेलीफैक्सः
011–25703985, 45032920 मोबाइलः + 91–11–9871881555 ई–मेल : info@hkgassociates.com
– वेबसाइट : www.hkgassociates.com

सिवाय प्रबंधन सोसायटी को लिक्विडेट करने पर विचार कर सकता है अथवा प्रचालन को स्थागित अथवा कोई उचित विकल्प नहीं हो लेकिन ऐसा कर सकते हैं।

प्रबंधन सोसायटी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसीयूआई में आयोजित एक ऑडिट एसएएस के साथ हमेशा एक भौतिक गलत विवरण का पता लगाएगा जब यह मौजूद है। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें मूर्त माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं।

- वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों को अभिचिन्हित करते और उनका आकलन करते हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही क्यों न हो उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते हैं, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त होते है।
- धोखाधड़ी से उत्पन्न एक भौतिक गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत विवरण, अथवा आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।
- ऑडिट से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों, लेकिन सोसायटी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर एक राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करें और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटन की विश्वासनीयता हो।
- लेखांकन के आधार पर जारी विषय का प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और, प्राप्त किए गए ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, चाहे एक सामग्री अनिश्चितता घटनाओं या स्थितियों से संबंधित मौजूद हो जो सोसायटी को मौजूदा विषय के अनुसार जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है अथवा, यदि इस तरह के प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित कर सकते हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक अद्यतन की रिपोर्ट प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण विषय के रूप में मौजूदा जारी रखने के लिए सोसायटी को स्थागित कर सकता है।

हम अन्य मामलों के संबंध में, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के संबंध में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां जिन्हें हम अपने लेखा परीक्षा के दौरान अभिचिन्हित करते हैं को शामिल करते हैं।

एचकेजी एंड एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण संख्या–023526एन

संजय कुमार पांडे
(भागीदार)
सदस्यता संख्या–517024
स्थानः दिल्ली
दिनांकः 24.06.2021
युडीआईएन – 21517024एएएबीएल1939

टिप्पणी–1 महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा नीतियों और लेखा संबंधित टिप्पणीयां

1. महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा नीतियांः

1.1 लेखा परीक्षा सम्मेलन

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत सम्मेलन और लेखांकन की प्रोद्भवन पद्धति के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

1.2 सरकारी अनुदानः जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति को जनजातीय मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार से अनुदान प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति को तीन प्रमुख शीर्ष से सहायता अनुदान सामान्य, वेतन एवं पूंजीगत परिसंपत्ति का सृजन (सीसीए) के तहत अनुदान प्राप्त हुआ। सहायता अनुदान (पूंजीगत संपत्ति का सृजन (सीसीए), सामान्य और वेतन) का लेखा परीक्षा प्रोद्भवन के आधार पर किया जाता है।

अप्रयुक्त शेष ऐसे अनुदानों की शेष राशि को तुलन–पत्र में – देयताओं के अंतर्गत अनुदानों के समापन शेष राशि के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। पूंजीगत संपत्ति के सृजन (सीसीए), सामान्य और वेतन के तहत निधि स्पष्ट रूप से प्राप्त होते हैं और अलग– अलग लेखा परीक्षा किए जा रहे हैं।

1. 3. परसिंपत्तियों का मूल्यांकनः अचल संपत्तियों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है और वर्ष के अंत में तुलन पत्र में निवल मूल्यह्रास को दिखाया जाता है।

1.4. मूल्यह्रासः आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित तरीके से और नीचे लिखित मूल्य पद्धति के अन्तर्गत दरो पर अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है।

वर्ष के दौरान अर्जित संपत्ति के लिए, लागू दर के अनुसार 6 महीने से अधिक के लिए अर्जित और उपयोग की गई संपत्ति के लिए पूर्ण मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है और छह महीने से कम अवधि के लिए मूल्यह्रास की लागू दर का 50 प्रतिशत प्रदान किया जाता है। मूल्यह्रास अवधि के अंत में संपत्ति को 1 रुपये के मामूली मूल्य पर दिखाया जाता है। प्रत्येक 5,000 रुपये या उससे कम की संपत्ति पूरी तरह से प्रदान की जाती है।

1.5 आयकरः आयकर अधिनियम की धारा 12एए के तहत शिक्षा को छूट दी गई है। तदनुसार, आयकर और आस्थगित कर परिसंपत्ति/देयताओं को मान्यता नहीं दी गई है।

एचकेजी एंड एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण संख्या–023526एन

संजय कुमार पांडे
(भागीदार)
सदस्यता संख्या–517024
स्थानः दिल्ली
दिनांकः 24.06.2021
युडीआईएन – 21517024एएएबीएल1939

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) योजना
31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची सं.		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	निधि का स्रोत				
क.	**आरक्षित और अधिशेष**				
	आरक्षित और अधिशेष–आय की अधिकता व्यय			(6,124,803.38)	(17,230.00)
	अनिर्दिष्ट शेष–पूंजी अनुदान	1	960,462,354.00		146,900,000.00
	अनिर्दिष्ट शेष–वेतन अनुदान	2	8,211,783.00		2,500,000.00
	अनिर्दिष्ट शेष–सामान्य अनुदान	3	1,830,313,756.30	2,798,987,893.30	12,550,000.00
	कुल			2,792,863,089.92	161,932,770.00
ख.	**निधियों का आवेदन**		7,863,949.82		
	1. अचल संपति				
	2. कार्य प्रगति पर– कार्यान्वयन के तहत योजना कार्य		-		
	3. क. चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम		6,383,505,759.00		
	क. नकद शेष		-		
	ख. बैंक में जमा राशि		2,845,448,042.80		161,950,470.00
	ग. पूंजी और अन्य के लिए अग्रिम				
	घ. ऋण और अग्रिम		-		-
	उप–योग (क)		9,236,817,751.62		161,950,470.00
	ख घटाएं: वर्तमान देयताएं		6,443,954,661.70		17,700.00
	उप–योग (ख)		6,443,954,661.70		17,700.00
	निवल चालू परिसंपत्तियां (क–ख)			2,792,863,089.92	161,932,770.00
	कुल			2,792,863,089.92	161,932,770.00

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एचकेजी एंड एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण संख्या–023526एन

आयुक्त
आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी

संजय कुमार पांडे
(भागीदार)
सदस्यता संख्या–517024
युडीआईएन – 21517024एएएएबीएल1939
दिनांक: 24.06.2021
स्थान: दिल्ली

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) योजना

आय और व्यय लेखा
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

व्यय				आय			
पिछला वर्ष	**विवरण**	**अनुसूची सं.**	**राशि रु.**	**पिछला वर्ष**	**विवरण**	**अनुसूची सं.**	**राशि रु.**
265-00	व्यय – ब्याज शुल्क		23,46L00	735.00	आय		
17,700.00	लेखा परीक्षा शुल्क		47,200.00				
	स्थापना एवं प्रशिक्षण		10,193,873.00		आवेदन शुल्क	6	3,423,050.00
	कार्यालय का किराया		12,148,620.42		बचत बैंक से ब्याज		43,109,050.00
	वेतन		6,504,271.00				
	कर्मचारियों की भर्ती व्यय		12,283,800.00				
	व्यावसायिक/संविदात्मक सेवाएं		5,655,908.00				
	अन्य व्यय		4,173,761.44				
	मूल्यह्रास		1,608,778.52				
(17,230.00)	व्यय को शेष राशि में स्थानांतरित करने पर आय की अधिकता		(6,107,573.38)				
735.00	**कुल**		46,532,100.00	735.00	**कुल**		46,532,100.00

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एचकेजी एंड एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण संख्या–023526एन

आयुक्त
आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी

संजय कुमार पांडे
(भागीदार)
सदस्यता संख्या–517024
युआईडीएन – 21517024एएएएबीएल1939
दिनांकः 24.06.2021
स्थानः दिल्ली

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) योजना

प्राप्ति और भुगतान लेखा
01.04.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि के लिए

प्राप्तियां				भुगतान			
पिछला वर्ष	विवरण	अनुसूची सं.	राशि रु.	पिछला वर्ष	विवरण	अनुसूची सं.	राशि रु.
	प्रारंभिक शेष						
-	क. नकद						
-	ख. बैंक		161,950,469.50	265.50	बैंक शुल्क		4,228.70
	एमओटीए से प्राप्त अनुदान			-			
					आवर्ती निधि को ईएमआरएस में अंतरित करें		
				-	संस्था		5,057,724,000
146900000.00	पूंजी		4980200000.00	-	सीपीडब्ल्यूडी – सीसीए में स्थानांतरण		1,831,000,000
2500000.00	वेतन	7	10000000.00	-	ईएमआरएस – सीसीए में स्थानांतरण	9	2,107,674,000
12550000.00	सामान्य		7008300000.00	-	नियमित कर्मचारियों का वेतन		4,288,217
					समान व्यय		62,682,000
					अन्य	10	79552,661
735.00	अन्य प्राप्तियाँ	8	47820100.00		जमा शेष		
				-	क. नकद		
				161,950,469.50	ख. बैंक		2,845,448,042.80
161,950,735.00	**कुल**		12,208,270,569.50	161,950,735.00	**कुल**		12,208,198,149.50

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एचकेजी एंड एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण संख्या–023526एन

आयुक्त
आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी

संजय कुमार पांडे
(भागीदार)
सदस्यता संख्या–517024
युडीआईएन – 21517024एएएबीएल1939
दिनांकः 24.06.2021
स्थानः दिल्ली

अनुसूची –1 अव्ययित अनुदान – पूंजी

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	अनुदान	5,127,100,000.00
	कुल	5,127,100,000.00
घटाएं:	व्यय	4,166,637,646.00
	कुल	4,166,637,646.00
	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार अव्ययित शेष राशि	**960,462,354.00**

अनुसूची–2 अव्ययित वेतन अनुदान

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	अनुदान	12,500,000.00
	कुल	12,500,000.00
घटाएं:	व्यय	4,288,217.00
	कुल	4,288,217.00
	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार अव्ययित शेष राशि	**8,211,783.00**

अनुसूची – 3 अव्ययित सामान्य अनुदान

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	अनुदान	7,022,138,000.00
	कुल	7,022,138,000.00
घटाएं:	व्यय	5,191,824,243.70
	कुल	5,191,824,243.70
	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार अव्ययित शेष राशि	**1,830,313,756.30**

अनुसूची – 4 अन्य व्यय

क्र.सं.	फाइनल शीर्ष	राशि
1	विज्ञापन व्यय	554,228.00
2	खाता बैंक शुल्क	4,228.70
3	सफाई कर्मचारियों का खर्च	150,719.00
4	कंप्यूटर इंस्टॉलेशन व्यय	43,890.00
5	आकस्मिकता 5%	105,376.00
6	शुल्क और अन्य	1400.00
7	दौरे पर होटल और भोजन का खर्च	10,300.00
8	उद्घाटन व्यय	165,754.00

क्र.सं.	फाइनल शीर्ष	राशि
9	स्थानीय यात्रा व्यय	42,450. 00
10	एलटीसी नकद पैकेज	120,000.00
11	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	645,257.00
12	नेटवर्किंग व्यय	34,850.00
13	कार्यालय का व्यय	704,375.50
14	लेटरहेड और विजिटिंग कार्ड की छपाई	18,064.00
15	भर्ती विज्ञापन	754,127.00
16	मरम्मत एवं अनुरक्षण लेखा	32,700.00
17	संक्षिप्त और अतिरिक्त	(0.50)
18	स्टाम्प	13,128.00
19	स्टेशनरी व्यय	252,422.00'
20	दूरभाष व्यय	22,976.00
21	प्रशिक्षण व्यय	160,063.00
22	स्थानांतरण यात्रा भत्ता	42910.00
23	हवाई खर्च से यात्रा	26,731.00
24	वाहन किराया प्रभार	192, 000.00
25	वाहन पार्किंग प्रभार	73,632.00
26	जल व्यय	3,180.00
27	पूर्णांक करना	0.74
	कुल	4,173,761.44

अनुसूची – 6 आय

क्र.सं.	विवरण	राशि रु. में
1	आवेदन शुल्क	3,423,050
	बचत बैंक से ब्याज	43,1.09,050

अनुसूची – 7 एमओटीए से प्राप्त अनुदान

क्र.सं.	विवरण	राशि रु. में
1	पूंजी	4,980,200,000
2	वेतन	10,000,000
3	सामान्य	7,008,300,000
	कुल	11,998,500,000

अनुसूची – 8 अन्य प्राप्तियां

क्र.सं.	विवरण	राशि रु. में
1	आवेदन शुल्क	3,423,050
2	बचत बैंक से ब्याज	43,109,050
3	एमओटीए कार्यालय व्यय 222502796170513	288,000
4	एमओटीए प्रोफेसर सर्विस 222502796170528	500,000
5	एमओटीए अन्य 222502796170550	500,000
	कुल	47,820,100

अनुसूची – 9

क्र.सं.	विवरण	राशि रु. में
1	ईएमआरएस सोसायटी को आवर्ती निधि अंतरण	5,057,724,000.00
2	सीपीडब्ल्यूडी–सीसीए में स्थानांतरण	1,831,000,000.00
3	ईएमआरएस – सीसीए में स्थानांतरण	2,107,674,000.00
4	पीएसयू – सीसीए में स्थानांतरण	219,825,000.00
5	नियमित कर्मचारी का वेतन	4,288,217.00
6	व्यय यूनिफार्म	62,682,000.00
	कुल	**9,283,193,217.00**

अनुसूची – 10

क्र.सं.	अन्य भुगतान	राशि रु. में
1	सांविधिक भुगतान	6,327,417.45
2	भर्ती व्यय	12,425,194.00
3	किराया	11,352,677.00
4	सुरक्षा जमा	202,500.00
5	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	645,257.00
	अन्य भुगतान	48,599,615.55
	कुल	**79,552,661.00**

अनुसूची – 5 अचल परिसंपत्ति

		परिसंपत्तियां				मूल्यह्रास	निवल अचल संपत्ति
क्र.सं.	परिसंपत्तियां	प्रारंभिक शेष 01– अप्रैल– 2020	वर्ष के दौरान अभि वृद्धि	वर्ष के दौरान विलोपन	जमा शेष	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	31–मार्च–2021 को समापन वर्ष में शेष राशि
1	फर्नीचर		2,152,085.00		2,152,085.00	107,604.25	2,044,480.75
2	कंप्यूटर	-	2,347,035.34		2,347,035.34	502,629.47	1,844,405.87
3	एलसीडी		293,686.00		293,686.00	58,737.20	234,948.80
4	सॉफ्टवेयर		261,115.00		261,115.00	56,046.20	205,068.80
5	सर्वर		2,381,845.00		2,381,845.00	476,369.00	1,905,476.00
6	कार्यालय उपकरण		2,036,962.00	-	2,036,962.00	407,392.40	1,629,569.60
	कुल	**-**	**9,472,728.34**	**-**	**9,472,728.34**	**1,608,778.52**	**7,863,949.82**

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) योजना
उपयोगिता प्रमाण पत्र – 12ए

क. 1 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक शेष राशि		1,25,50,000
ख. सामान्य अनुदान के तहत एमओटीए से प्राप्त निधि	7,00,95,88,000	
लेखा पुस्तकों के अनुसार व्यय	5,19,18,24,244	
		1,81,77,63,756
ग. अन्य आय		
घ. घटाएं : अन्य व्यय		
अव्ययित शेष (क+ख+ग+घ)		1,83,03,13,756

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि एनईएसटीएस द्वारा रु. 519,18,24,244/– का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अगले वर्ष में उपयोग करने हेतु अव्ययित शेष राशि रु. 183,03,13,756/– को अग्रेषित किया गया है।

हम आगे प्रमाणित करते हैं कि जिन शर्तों पर अनुदान स्वीकृत किया गया था, उन्हें पूरा किया गया है और जहां स्वीकृत राशि से कोई विचलन हुआ है, वहा संबंधित प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से है। हमने यह देखने के लिए उचित जांच की है कि निधि वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था।

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एचकेजी एंड एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण संख्या–023526एन

आयुक्त
आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी

संजय कुमार पांडे
(भागीदार)
सदस्यता संख्या–517024
युडीआईएन – 21517024एएएबीएल1939
दिनांकः 24.06.2021
स्थानः नई दिल्ली

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) योजना
उपयोगिता प्रमाण पत्र – 12ए

क. 1 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक शेष राशि		25,00,000
ख. वेतन अनुदान के तहत एमओटीए से प्राप्त निधि	1,00,00,000	
लेखा पुस्तकों के अनुसार व्यय	42,88,217	
		57,11,783
ग. अन्य आय		
घ. घटाएं : अन्य व्यय		
अव्ययित शेष (क+ख+ग+घ)		82,11,783

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि एनईएसटीएस द्वारा रु. 42,88,217/– का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अगले वर्ष में उपयोग करने हेतु अव्ययित शेष राशि रु. 82,11,783/– को अगेषित किया गया है।

हम आगे प्रमाणित करते हैं कि जिन शर्तों पर अनुदान स्वीकृत किया गया था, उन्हें पूरा किया गया है और जहां स्वीकृत राशि से कोई विचलन हुआ है, वहा संबंधित प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से है। हमने यह देखने के लिए उचित जांच की है कि निधि वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था।

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एचकेजी एंड एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण संख्या–023526एन

आयुक्त
आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी

संजय कुमार पांडे
(भागीदार)
सदस्यता संख्या–517024
युडीआईएन – 21517024एएएबीएल1939
दिनांकः 24.06.2021
स्थानः नई दिल्ली

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) योजना
उपयोगिता प्रमाण पत्र – 12ए

क. 1 अप्रैल, 2020 को प्रारंभिक शेष राशि		14,69,00,000
ख. पूंजीगत अनुदान के तहत एमओटीए से प्राप्त निधि	4,98,02,00,000	
लेखा पुस्तकों के अनुसार व्यय	4,16,66,37,646	
		81,35,62354.00
ग. अन्य आय		
घ. घटाएं : अन्य व्यय		
अव्ययित शेष (क+ख+ग+घ)		96,04,62,354.00

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि एनईएसटीएस द्वारा रु. 416,66,37,646/– का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अगले वर्ष में उपयोग हेतु अव्ययित शेष राषि रु. 96,04,62,354/– को अग्रेषित किया गया है।

हम आगे प्रमाणित करते हैं कि जिन शर्तों पर अनुदान स्वीकृत किया गया था, उन्हें पूरा किया गया है और जहां स्वीकृत राशि से कोई विचलन हुआ है, वहा संबंधित प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से है। हमने यह देखने के लिए उचित जांच की है कि निधि वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था।

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एचकेजी एंड एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण संख्या–023526एन

आयुक्त
आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी

संजय कुमार पांडे
(भागीदार)
सदस्यता संख्या–517024
युडीआईएन – 21517024एएएबीएल1939
दिनांकः 24.06.2021
स्थानः नई दिल्ली

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) योजना
समेकित उपयोगिता प्रमाणपत्र– 12ए

क. 1 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक शेष राशि		16,19,50,000
ख. पूंजीगत अनुदान के तहत एमओटीए से प्राप्त निधि	11,99,97,88,000	
लेखा पुस्तकों के अनुसार व्यय	9,36,27,50,107	
		2,63,70,37,893
ग. अन्य आय		
घ. घटाएं : अन्य व्यय		
अव्ययित शेष (क+ख+ग+घ)		2,79,89,87,893

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि एनईएसटीएस द्वारा रु. 936,27,50,107/– का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अगले वर्ष में उपयोग करने हेतु अव्ययित शेष राशि रु. 279,89,87,893/– को अग्रषित किया गया है।

हम आगे प्रमाणित करते हैं कि जिन शर्तों पर अनुदान स्वीकृत किया गया था, उन्हें पूरा किया गया है और जहां स्वीकृत राशि से कोई विचलन हुआ है, वहा संबंधित प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से है। हमने यह देखने के लिए उचित जांच की है कि निधि वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था।

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

एचकेजी एंड एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण संख्या–023526एन

आयुक्त
आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी

संजय कुमार पांडे
(भागीदार)
सदस्यता संख्या–517024
युडीएनआई – 21517024एएएबीएल1939
दिनांकः 24.06.2021
स्थानः नई दिल्ली

अस्वीकरण

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति

जीवन तारा बिल्ड़िग, नई दिल्ली
www.tribal.nic.in/EMRS.aspx